સરળ ભારતીય શાસન

૬૨

६१
१

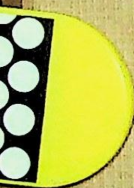
10776



भारतीय ग्रन्थ माला—संख्या ५

सरल भारतीय शासन

भगवान दास केला





भारतीय ग्रन्थ माला—संख्या ५

सरल भारतीय शासन

[भारतीय शासन पद्धति का साधारण ज्ञान]

लेखक

भारतीय शासन, भारतीय राष्ट्र निर्म्माण, भारतीय राजस्व,

और भारतीय विद्यार्थी विनोद, आदि के



रचयिता

…वानदास केला

प्रकाशक

व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थ माला, वृन्दावन।

प्रथम संस्करण
१२५० प्रति

सन् १९२८ ई०

मूल्य आठआने*

* शिक्षा संस्थाओं के लिये, नमूने की प्रति का मूल्य छः आने।

भारतीय ग्रन्थ माला की पुस्तकें मिलने के पते :—

(१) व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थ माला,
वृन्दावन ।

(२) मैनेजर, जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स,
मथुरा ।



निवेदन

हमारी ' भारतीय शासन ' पुस्तक गत तेरह वर्ष से हिन्दी संसार के सामने है; उसके पांच संस्करण होचुके हैं, और, अब छटेकी तैयारी होरही है। सर्वसाधारण पाठकों के अतिरिक्त, अंगरेज़ी स्कूलों की हाई क्लासों या हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा तथा इन के समान योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिये भी वह पुस्तक बहुत उपयुक्त प्रतीत हुई है।

विगत वर्ष हमें ज्ञात हुआ कि बहुत से स्थानों में शासन पद्धति का विषय ऐसी माध्यमिक कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है, जिनके लिये वह पुस्तक कुछ कठिन है, तथा कुछ अधिक भी है। इस के अतिरिक्त अन्य साधारण योग्यता वाले पाठक भी उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते। इनकी आवश्यकता को लक्ष्य में रख कर यह पुस्तक सविनय हिन्दी संसार की सेवा में उपस्थित की जा रही है। आशा है, यह उस की पूर्ति करेगी।

इस विषय की जो जो पुस्तक हिन्दी या अंगरेज़ी की हमें मिल सकी हैं, उन्हें हम समय समय पर देखते रहे हैं। कई एक में कुछ कुछ बातें अच्छी होने पर भी, प्रायः सब में हमें यह दूषण प्रतीत हुआ है कि लेखकों ने सरलता की आड़ में वर्तमान शासन पद्धति का समर्थन या प्रशंसा की है। परन्तु जब कि यहां शासन पद्धति में महान परिवर्तनों की आवश्यकता हो, और कुछ परिवर्तन हो भी रहे हों, हम उन लेखकों का ऐसा करना अनावश्यक और अनुचित समझते हैं। हां, यह ठीक है कि छोटी आयु वाले अथवा प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाले पाठक टीका टिप्पणियों या आलोचनाओं से यथेष्ट

लाभ नहीं उठा सकते। अस्तु, हमने इस पुस्तक में शासन पद्धति सम्बन्धी बातों के वर्णन मात्र से ही संतोष किया है। जो सज्जन इस विषय में, हमें अपने परामर्श से कृतार्थ करेंगे उनके विचारों से हम यथा शक्ति लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। शिक्षा प्रेमी विद्वानों की सहायता पर ही हमारे उद्देश्य की सफलता निर्भर है।

जैसा कि पहले कहा गया है, इस पुस्तक में भारतवर्ष की शासन पद्धति की केवल मुख्य मुख्य बातों का वर्णन किया गया है। पुस्तक बहुत बड़ी न हो जाय, इस लिये हमने राज्य के विविध कार्यों का इस में विचार नहीं किया। सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ, रेल, डाक तार आदि का वर्णन हमारी 'राज्य प्रबन्ध' नामक पुस्तक में किया गया है। उस के लिखने में भी हमने साधारण योग्यता वाले पाठकों की ही आवश्यक्ता का ध्यान रखा हैं।

'भारतीय शासन' की भांति इस पुस्तक में भी हमने अपने अन्यान्य सुहृदों में श्री० पं० दयाशंकर जी दुबे, एम ए., एल एल. बी. के परामर्श से लाभ उठाया है। श्री० दुबे जी ने इसकी भूमिका लिखने की भी कृपा की है। प्रेस सम्बन्धी कार्य में श्री. पं० त्रैलोक्यनाथ जी शर्म्मा, (जमुना प्रिंटिंग वर्क्स) का सहयोग न मिलता, तो ईश्वर जाने, इस पुस्तक के प्रकाशित होने में कितना विलम्ब और लग जाता। अपने मित्रों की ऐसी ही सहानुभूति के आसरे, हमें भारतीय ग्रन्थ माला सम्बन्धी कुछ कार्य होने का विश्वास है।

विनीत

भगवान दास केला.

भूमिका

भारतीय विद्यार्थियों के लिये भारतीय शासन के ज्ञान की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। भारतवर्ष के अधिकांश विद्यार्थी पांच छः श्रेणियों तक ही पढ़कर अपनी शिक्षा समाप्त कर देते हैं। उन्हें इस विषय का ज्ञान तब ही दिया जा सकता है, जब कि यह छोटी श्रेणियों में पाठ्य विषय हो, और इसपर सरल भाषा में ऐसी पुस्तकें लिखी जांय, जिन्हें वे आसानी से समझ सकें। छोटी श्रेणियों के विद्यार्थियों के अतिरिक्त उन पाठकों के लिये भी, जिनकी भाषा सम्बन्धी योग्यता साधारण ही है, अथवा जिन्हें अन्य कार्यवश समयाभाव रहता है, यह आवश्यक है कि शासन पद्धति सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान देने वाली सरल पुस्तक मिल सकें।

हिन्दी भाषा में इस प्रकार की पुस्तकों की बहुत कमी है। इसे दूर करने के उद्देश्य से, मेरे मित्र श्री० भगवानदास जी केला ने यह पुस्तक लिखी है। मेरी समझ से आप इस कार्य के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हैं। आपने यह विषय चार वर्ष प्रेम महा विद्यालय (वृन्दावन) में भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी कई कई श्रेणियों को पढ़ाया है। आपकी लिखी 'भारतीय शासन' पुस्तक बहुत लोक-प्रिय हुई है; गत बारह तेरह वर्ष में उसके पांच संस्करण होचुके हैं और वह ब्रिटिश भारत के कई प्रान्तों, तथा कई देशी रियासतों के

शिक्षा विभागों द्वारा स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत, और अनेक शिक्षा संस्थाओं की पाठ विधि में सम्मिलित, होगयी है।

इस 'सरल भारतीय शासन' पुस्तक की विशेषता यह है कि यह सरल होने के अतिरिक्त वर्णनात्मक है, इसमें विवाद-ग्रस्त विषयों पर विचार नहीं किया गया है। यह उचित ही है, क्यों कि छोटी श्रेणियों के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता वाले पाठकों से ऐसे विषयों को भली भांति समझने और उन पर निस्पक्ष भाव से विचार करने की आशा नहीं की जा सकती।

आशा है 'भारतीय शासन' के समान इस पुस्तक का भी यथेष्ठ प्रचार होगा। मैं मध्य प्रान्त, संयुक्त प्रान्त, बिहार और पंजाब के, तथा हिन्दी भाषा भाषी विविध देशी राज्यों के शिक्षा विभागों के अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी संस्थाओं की छोटी श्रेणियों के पाठ्य विषयों में भारतीय शासन पद्धति के विषय को स्थान दें और इस पुस्तक से यथेष्ठ लाभ उठावें।

दारागंज
प्रयाग
१२-४-२८

दयाशंकर दुबे
एम० ए०, एल एल० बी०
अध्यापक अर्थ शास्त्र विभाग
प्रयाग विश्व विद्यालय।

विषय सूची

— प्रकाशक —

भगवानदास केला,

व्यवस्थापक

भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन ।



मुद्रक :—

त्रैलोक्यनाथ शर्मा,

" जमुना प्रिन्टिंग वर्कस " मथुरा ।

सरल भारतीय शासन.

पहला पाठ.

❀ विषय-प्रवेश ❀

पाठको! तुम में से कोई संयुक्त प्रान्त का होगा, कोई मध्य प्रान्त का, कोई पंजाब, बिहार या अन्य प्रान्त का, और, कोई किसी देशी रियासत का। तथापि तुम सब हो, भारतवासी। तुम्हारा देश एक है, इसका नाम भारतवर्ष या हिन्दुस्तान है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे माता पिता यहीं रहते आये हैं। बड़े होकर तुम में से अधिकांश इसी देश में, अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य्य करोगे। तुम इस देश की प्रधान भाषा हिन्दी लिख पढ़ सकते हो, तुमने यहां के भूगोल और इतिहास का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब तुम इस योग्य हो कि इस बात को भी समझ सको कि इस देश का राज्य प्रबन्ध किस प्रकार होता है। और, यह जान लेना बहुत ज़रूरी है।

तुम बहुधा चौकीदार और, तहसीलदार ही नहीं, कलेक्टर (डिप्टी कमिश्नर) या गवर्नर और गवर्नर-जनरल आदि के

बारे में कुछ बातें सुनते हो। तुम्हारे शहर में म्यूनिसिपैलिटी होगी, या तुम्हारा गांव ज़िला-बोर्ड (या ज़िला कौंसिल) के क्षेत्र में होगा। तुम कभी कभी यह भी सुनते होगे कि अब इस तरह का क़ानून बन गया है या बदल गया है। इन अधिकारियों, संस्थाओं तथा कार्यों के विषय में, तुम्हें इस पुस्तक में कुछ सिलसिलेवार बातें बतलाई जांयगी। इसे पढ़कर तुम यह जान लोगे कि इस देश का शासन किस तरह किया जाता है, सरकार किसे कहते हैं, और वह क्या कार्य करती है।

अच्छा, इस विषय को आरम्भ करने से पहले यह जान लेना चाहिये कि इस देश में कितनी भूमि है, यहां कितने आदमी रहते हैं, तथा राज्य प्रबन्ध की दृष्टि से इस देश के कितने भाग हैं। ये बातें तुमने पहले पढ़ली होंगी, फिर भी इस पुस्तक को पढ़ते समय तुम्हें इन बातों को स्मरण कर लेना चाहिये।

क्षेत्रफल-भिन्न भिन्न स्थानों में भारतवर्ष की लम्बाई चौड़ाई पृथक् पृथक् है। इस देश की उत्तर से दक्षिण तक अधिक से अधिक लम्बाई दो हज़ार मील है, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी अधिक से अधिक चौड़ाई, है लगभग एक हज़ार नौ सौ मील। इस देश का क्षेत्रफल अठारह लाख वर्ग मील से कुछ अधिक है।

जन संख्या--भारतवर्ष के मनुष्यों की गणना प्रति

दसवें वर्ष होती है, पिछली बार सन् १९२१ में हुई थी। उसके अनुसार इस देश में सब मिलाकर लगभग बत्तीस करोड़ आदमी रहते हैं, इनमें से २३ करोड़ हिन्दू, ७ करोड़ मुसलमान और दो करोड़ ईसाई, पार्सी और यहूदी आदि हैं।

राजनैतिक भाग–राज्य प्रबन्ध की दृष्टि भारतवर्ष के चार भाग हैं:—

(१) स्वाधीन राज्य,
(२) फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ राज्य,
(३) ब्रिटिश भारतवर्ष, और,
(४) देशी रियासतें।

स्वाधीन राज्य–भारतवर्ष में स्वाधीन राज्य अब केवल नेपाल और भूटान ही हैं। ये दोनों हिन्दू राज्य हैं। इनकी सीमा पर भारत सरकार का एक एक प्रतिनिधि रहता है। इन प्रतिनिधियों को इन राज्यों के आन्तरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का कुछ अधिकार नहीं होता।

नेपाल का प्रधान शासक महाराजाधिराज कहलाता है। वास्तविक शासन अधिकार मन्त्री को है। मन्त्री से नीचे जंगी लाट होता है, जो मन्त्री के देहान्त पर प्रायः उसके पद का अधिकारी होजाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल चव्वन हज़ार वर्ग मील और जन संख्या पचास लाख है। इसे भारत सरकार से प्रति वर्ष दस लाख रुपये मिलते हैं।

भूटान का क्षेत्रफल अठारह हज़ार वर्ग मील और जन-संख्या लगभग तीन लाख है। इसे भारत सरकार से सालाना एक लाख रुपया मिलता है और, यह बाहरी मामलों में उसकी सलाह से काम करता है। भीतरी मामलों में यह स्वतन्त्र है। प्रधान शासक महाराजा कहाता है।

फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ राज्य—तुम्हें ज्ञात होगा कि सत्तरहवीं शताब्दी में यहां व्यापार करने के लिये कई योरपियन जातियों के आदमी आये थे। पीछे समय पाकर इन्होंने यहां अधिकार जमाने का भी यत्न किया। कुछ लड़ाइयों की हार जीत तथा सन्धियों के बाद अधिकांश भारतवर्ष में अंगरेज़ों का अधिकार या प्रभाव होगया। तथापि, कुछ स्थान फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ लोगों के पास रह गये।

फ्रांस के अधीन पांच नगर हैं:—

१—यनाम (गोदावरी नदी के डेल्टा के किनारे पर),
२—माही (मालबार के किनारे पर),
३—कारीकल (कारोमंडल के किनारे पर),
४—पांडेचरी (कारोमंडल के किनारे पर) और,
५—चन्द्रनगर (कलकत्ते के पास)।

इन सब स्थानों का क्षेत्रफल २०३ वर्ग मील और, जन-संख्या पौने तीन लाख से कुछ कम है। इन स्थानों में पांडेचरी

मुख्य है। यही इन सबकी राजधानी है, जिसमें इनका प्रबन्ध करने के लिये एक गवर्नर तथा उसकी सहायतार्थ एक मन्त्री, कुछ विविध विभागों के सेक्रेटरी, और एक न्यायाध्यक्ष, रहते हैं। फ्रांस की भारतीय प्रजा की ओर से दो प्रतिनिधि फ्रांस की पार्लिमेन्ट अर्थात् क़ानून बनाने वाली महा सभा में भाग लेते हैं।

पुर्तगाल के अधीन तीन स्थान हैं:—

१—गोवा—(बम्बई के दक्षिण में),

२—डामन (गुजरात के किनारे पर),

३—ड्यू (काठियावाड़ के किनारे पर)।

इन तीनों स्थानों का क्षेत्रफल केवल साढ़े तेरह सौ वर्ग मील और जन संख्या लगभग साढ़े पांच लाख है। इन स्थानों के लिये एक गवर्नर-जनरल, गोवा (राजधानी) में रहता है। उसकी प्रायः पांच साल में बदली होती है। उसकी प्रबन्धकारिणी और व्यवस्थापक दोनों प्रकार की सभायें हैं।

ब्रिटिश भारत—ब्रिटिश भारत, भारतवर्ष के उस भाग को कहते हैं, जो अंगरेज़ों के अधीन है। इसका क्षेत्रफल लगभग ग्यारह लाख वर्ग मील और जन संख्या लगभग पच्चीस करोड़ है। इसका प्रधान अधिकारी गवर्नर जनरल कहलाता है। इंगलैंड नरेश, भारतवर्ष के सम्राट हैं। वे इंगलैंड में रहते

हैं, उनकी तरफ़ से यहां 'गवर्नर--जनरल और वाइसराय' काम करता है।

ब्रिटिश भारत के १५ प्रान्त हैं:-(१) बंगाल, (२) बम्बई, (३) मद्रास, (४) संयुक्त प्रांत (५) बिहार-उड़ीसा, (६) पंजाब, (७) बर्मा, (८) मध्यप्रांत और बरार, (९) आसाम, (१०) देहली, (११) पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, (१२) ब्रिटिश बलोचिस्तान, (१३) अजमेर मेरवाड़ा, (१४) कुर्ग, और (१५) एंडमान निकोबार। इनमें से प्रत्येक के ज़िलों की संख्या, क्षेत्रफल तथा जन संख्या इस पुस्तक के परिशिष्ठ में दी हुई है। इनकी शासन पद्धति का वर्णन, आगे के पाठों में किया जायगा।

देशी रियासतें--देशी रियासतें भारतवर्ष के वे भाग हैं जिनका आन्तरिक शासन बहुत कुछ यहां के ही राजा या सरदार आदि करते हैं, परन्तु जो बाहरी मामलों में सर्वथा ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं। ये रियासतें सब मिलाकर ५६२ हैं। इनका कुल क्षेत्रफल सात लाख वर्ग मील से कुछ कम और जन संख्या सात करोड़ से कुछ अधिक है। इनका विशेष वर्णन आगे नवें पाठ में किया जायगा।

भारतवर्ष का साधारण परिचय दे चुकने पर अब हम यहां की शासन पद्धति का वर्णन करेंगे।

दूसरा पाठ

ज़िले का शासन

तुम यह जान गये हो कि ब्रिटिश भारत १५ प्रान्तों में बटा हुआ है। इन प्रान्तों में से मदरास प्रान्त को छोड़कर शेष सब में कुछ कमिश्नरी, तथा प्रत्येक कमिश्नरी में कुछ ज़िले हैं। मदरास प्रान्त में कमिश्नरी नहीं हैं, केवल ज़िले ही हैं। इस पाठ में यह बताया जायगा कि ज़िले का शासन किस तरह होता है, उसमें कौन कौन से अफ़सर क्या क्या काम करते हैं। पहिले यह जान लेना उचित होगा कि भारतवर्ष के राज्य प्रबन्ध में ज़िले के शासन का विषय कितने महत्त्व का है।

शासन प्रबन्ध में ज़िले का स्थान—ब्रिटिश भारत में ज़िलों की कुल संख्या २७७ है। प्रत्येक ज़िले का औसत क्षेत्रफल ४११२ वर्ग मील है, तथा उसकी औसत मनुष्य संख्या ९ लाख २६ हज़ार है। कोई ज़िला छोटा है, कोई बड़ा। इसी प्रकार कहीं की मनुष्य संख्या कम है, कहीं की बहुत अधिक।

राज्य की कल जैसी एक ज़िले में चलती दिखाई पड़ती है, वैसी ही प्रायः अन्य ज़िलों में भी है। जैसे अफ़सर एक में काम करते हैं, वैसे ही औरों में भी हैं। जनता के काम काज

का मुख्य स्थान ज़िला है। जो मनुष्य अन्य प्रान्तों तथा दूसरे शहरों से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा ज़िले में काम पड़ जाता है। यहां के शासन कार्य को देखकर ही साधारण आदमी देश के राज्य प्रबन्ध के विषय में कुछ अनुमान किया करते हैं।

ज़िला-मेजिस्ट्रेट के कार्य—प्रत्येक ज़िले का प्रधान अफ़सर ज़िला-मेजिस्ट्रेट कहलाता है। उसे पंजाब मध्य प्रान्त आदि में 'डिप्टी कमिश्नर' (Deputy Commissioner) कहते हैं, और बंगाल, संयुक्त प्रान्त, बिहार आदि में उसे 'कलेक्टर' (Collector) कहते हैं। 'कलेक्टर' का अर्थ है, वसूल करने वाला। ज़िला-मेजिस्ट्रेट को 'कलेक्टर' इसलिये कहते हैं कि उस पर ज़िले की मालगुज़ारी वसूल करने की ज़िम्मेवारी होती है। वह अपने ज़िले के भूमि सम्बन्धी मामलों पर विचार करता है, सरकार और प्रजा के सम्बन्ध का ध्यान रखता है और ज़मींदारों और किसानों आदि के झगड़ोंका फ़ैसला करता है। दुर्भिक्ष अथवा अन्य आवश्यकता के समय कृषकों को सरकारी सहायता उसकी सम्मति के अनुसार मिलती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय आबकारी, आयकर (इनकम-टैक्स), स्टाम्प-ड्यूटी तथा आय के अन्य श्रोत भी उसी के सुपुर्द हैं। ज़िले के खज़ाने का वही उत्तरदाता है। उसे म्यूनिसिपैलिटियों तथा ज़िला बोर्डों की निगरानी का अधिकार है। उसे अव्वल

दर्जे की मेजिस्ट्रेटी के भी अधिकार प्राप्त हैं, जिन से वह एक एक अपराध पर साधारणतः दो साल की क़ैद और एक हज़ार रुपये तक जुर्माना कर सकता है। ज़िले की सब प्रकार की सुख शांति का वही उत्तरदाता है। वही अपने अधीन पदाधिकारियों के विरुद्ध अपील सुनता है,और स्थानीय पुलिस की निगरानी भी करता है। इस बात के निश्चय करने में, कि कहां पुल, सड़क इत्यादि बनने चाहियें, कहां सफ़ाई का प्रबन्ध होना चाहिये, तथा ज़िले के किन किन स्थानों को स्थानीय स्वराज्य का अधिकार मिलना चाहिये, उसी की सम्मति प्रमाणिक मानी जाती है। ज़िले में जिस बात का प्रबन्ध ठीक न हो उसका सुधार करना और हर एक बात की रिपोर्ट उच्च कर्मचारियों के पास भेजना, उसी का कर्तव्य है। ज़िले की आन्तरिक दशा जानने तथा उसे सुधारने के विचार से उसे देहातों में दौरा भी करना होता है।

ज़िले के अन्य कार्य कर्ता--ज़िले में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे, शान्ति रखना, झगड़ों का फ़ैसला करना, मालगुज़ारी वसूल करना, सड़क पुल आदि बनवाना, अकाल में लोगों की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, म्युनिसिपल व लोकल बोर्डों की निगरानी रखना, जेलखाना व पाठशाला आदि का निरीक्षण करना, इत्यादि। इन विविध कार्यों के लिये ज़िले में कई एक अफ़सर रहते हैं, जैसे स्कूलों

के डिप्टी इन्सपेक्टर, पुलिस के सुपरिंटैण्डेण्ट या पुलिस कप्तान, अस्पतालों के सिविल सर्जन, जेलों के सुपरिंटैण्डेण्ट। निर्माण कार्य के लिये एग्ज़ीक्यूटिव ऐंजिनियर और न्याय कार्य के ज़िला जज आदि होते हैं।

ये अफ़सर अपने पृथक् पृथक् विभागों के उच्च कर्मचारियों के अधीन होते हैं; परन्तु शासन के विचार से ज़िला जज व मुन्सिफ़ आदि को छोड़कर सब पर ज़िला-मेजिस्ट्रेट ही प्रधान होता है। इसके कार्य में सहायता देने के लिये डिप्टी व सहायक मेजिस्ट्रेट भी रहते हैं।

ज़िले के भाग और उनके अधिकारी--प्रायः प्रत्येक ज़िले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिविज़न कहते हैं। हर एक सब-डिविज़न एक डिप्टी कलेक्टर अथवा 'ऐक्सट्रा ऐसिस्टैंट कमिश्नर' के अधीन रहता है। अपनी अपनी अमलदारी में सब-डिविज़नों के अफ़सरों के अधिकार, थोड़े बहुत भेद से कलेक्टर-मेजिस्ट्रेटों के समान ही होते हैं। बंगाल प्रान्त को छोड़कर अन्य प्रांतों में सब-डिविजन के भागों का नाम तहसील (या ताल्लुका) है। तहसील, पंजाब व संयुक्त प्रान्त में तहसीलदारों के अधीन हैं * जो प्रजा और सरकार के बीच

* अन्य प्रान्तों में तहसील या ताल्लुके के प्रधान पदाधिकारी के भिन्न भिन्न नाम हैं।

मानों मध्यस्थ रूप होते हैं। उनका काम दोनों को एक दूसरे के विषय में आवश्यक सूचना देते रहना है। ये अपने इलाके के माल व फ़ौजदारी के ही काम के उत्तरदाता नहीं हैं, वरन् ये म्यूनिसिपैलिटियों और देहाती बोर्डों में भी यथोचित कार्य करते हैं। इनका विशेष कार्य लगान वसूल करना है। इनके सहायक कर्मचारी नायब तहसीलदार, पेशकार, क़ानूगो, रेवन्यू–इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। प्रायः एक तहसील में कई गांव होते हैं।

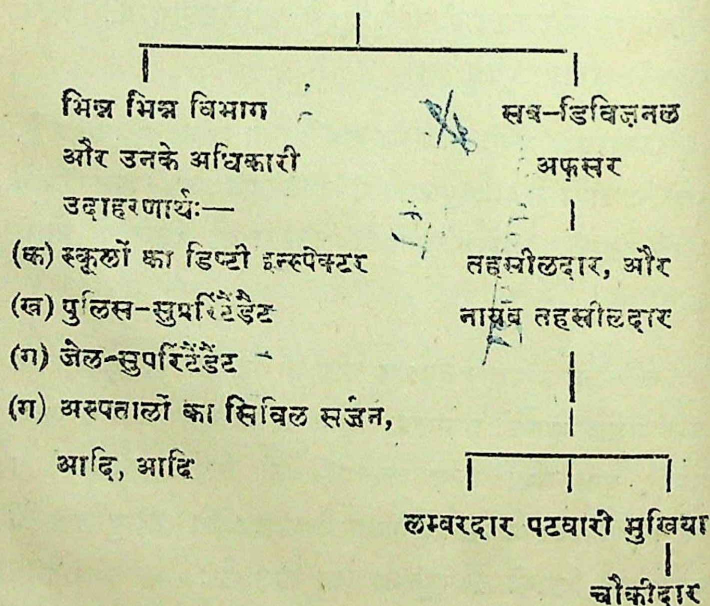
गांवों के अधिकारी--गांवों में लम्बरदार (पटेल), चौकीदार और पटवारी रहते हैं। ये तहसीलदार को उसके काम में सहायता देते हैं।

लम्बरदार अपने गांव का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यह किसानों से मालगुज़ारी व आबपाशी की रकम एकत्र करके तहसील में भेज देता है, वहां से वह ज़िले में भेजी जाती है।

चौकीदार पहरा देता व चौकसी करता है, पुलिस में प्रति सप्ताह मृतकों व नवजात बालकों की ख़बर देता है और, चोरी, क़त्ल तथा अन्य अपराधों की रिपोर्ट करता है। चौकीदारों का अफ़सर मुखिया कहलाता है। यह पुलिस को आवश्यक विषयों की सूचना देता रहता है।

पटवारी अपने हलके (ग्राम या ग्राम-समूह) के किसानों व जमींदारों के हक़ हकूक़ के काग़ज़, रखता है, और सरकार में प्रत्येक परिवर्तन की रिपोर्ट करता है और खेतों के नक़शे 'खेवट', 'खतौनी' आदि रखता है।

अब तुम यह समझ गये कि ज़िले का शासन किस प्रकार होता है। आगे दिये हुए नक़शे से शासन शृंखला और अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी।



तीसरा पाठ.

प्रान्तीय सरकार

ज़िले का शासन किस तरह होता है, यह तुम पिछले पाठ में पढ़ चुके। अब तुम प्रान्तों के राज्य प्रबन्ध के विषय में आसानी से विचार कर सकते हो। बड़े होने पर तुम्हें पास वाले दूसरे ज़िलों से काम पड़ेगा, सम्भव है वह जिले तुम्हारे ही प्रान्त के हों या किसी दूसरे प्रान्त के।

प्रान्तों के भाग. कमिश्नरियां-प्रान्तों के शासन प्रबन्ध का हाल जानने के लिये पहिले कमिश्नरियों के बारे में कुछ बातें जानना आवश्यक है। तुम पिछले पाठ में पढ़ चुके हो कि मद्रास प्रान्त को छोड़ कर, प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार पांच कमिश्नरियां होती हैं। कमिश्नरी के अफ़सर को कमिश्नर कहते हैं। यह शासन सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं नहीं करता, केवल शासकों (ज़िला अफ़सरों) के काम की जांच पड़ताल करता है। ज़िलों से जो रिपोर्ट या पत्रादि प्रान्तीय सरकार के पास जाते हैं, वे सब कमिश्नरों के हाथ से गुज़रते हैं। कमिश्नर माल (Revenue) के मुक़दमों की अपील भी सुनता है। मालगुज़ारी के बन्दोबस्त में इसका काम केवल

परामर्श देना है, पर विशेष दशाओं में इसे मालगुज़ारी की वसूलयाबी रोकने का अधिकार है।

कमिश्नरों को अपनी अपनी कमिश्नरी की म्युनिसिपैलिटियों के काम को देखने भालने के भी कुछ अधिकार होते हैं। परन्तु इनका विशेष सम्बन्ध मालगुज़ारी से रहता है। मालगुजारी के प्रबन्ध के लिये कुछ प्रान्तों में फ़ाइनेंशल (अर्थ) कमिश्नर और कुछ प्रान्तों में रेवन्यू बोर्ड भी रहते हैं। पंजाब और मध्य प्रान्त में फ़ाइनेंशल कमिश्नर (Financial Commissioner) है, और संयुक्त प्रान्त, बिहार और बंगाल में रेवन्यू बोर्ड (Revenue Board) हैं। रेवन्यू बोर्ड में एक से लेकर चार तक, मेम्बर होते हैं। फ़ाइनेन्शल कमिश्नर और रेवन्यू बोर्ड मालगुज़ारी के सम्बन्ध में कलेक्टरों और कमिश्नरों के कार्य की देख भाल करते हैं। माली मामलों में यह कमिश्नरों के निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं।

बड़े प्रान्त और छोटे प्रान्त—तुम यह तो जान चुके हो कि भारतवर्ष में कुल पन्द्रह प्रान्त हैं। प्रान्तीय सरकारों (Provincial Government) को स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेन्ट (Local Government) भी कहते हैं। सब प्रान्तों का शासन एक ही तरह नहीं होता। राज्य प्रबन्ध की दृष्टि से प्रान्तों के दो भेद हैं, (क) बड़े प्रान्त (Major

Provinces), और (ख) छोटे प्रान्त (Minor Provinces); नौ प्रान्त बड़े माने गये हैं, और छः छोटे।

बड़े प्रान्त	छोटे प्रान्त
१—बंगाल	१—देहली
२—बम्बई	२—पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त
३—मद्रास	३—ब्रिटिश बिलोचिस्तान
५—संयुक्त प्रान्त	४—अजमेर-मेरवाड़ा
५—बिहार-उड़ीसा	५—कुर्ग
६—पंजाब	६—ऐंडमान-निकोबार
७—बर्मा	
८—मध्य प्रान्त और बरार	
९—आसाम	

पहिले छोटे प्रान्तों की शासन पद्धति बतलाते हैं।

छोटे प्रान्तों का शासन--छोटे प्रान्तों के राज्य प्रबन्ध करने वाले प्रधान अधिकारी चीफ़ कमिश्नर कहलाते हैं। ये भारत सरकार के अधीन और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल करता है। [भारत सरकार और गवर्नर जनरल के बारे में तुम पांचवें पाठ में पढोगे]।

कुछ चीफ़ कमिश्नर अपने प्रान्त का शासन करने के अतिरिक्त, राज्य प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य कार्य भी करते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त का चीफ़ कमिश्नर वज़ीरिस्थान आदि पश्चिमी सीमा की रियासतों का एजन्ट होता है; ब्रिटिश बिलोचिस्तान का चीफ़ कमिश्नर बिलोचिस्तान की रियासतों का, और अजमेर मेरवाड़े का चीफ़ कमिश्नर राजपूताने की रियासतों का एजन्ट होता है। इसी प्रकार कुर्ग का चीफ़ कमिश्नर मैसूर रियासत का रेज़ीडैंट होता है।

क़ानून बनाने के लिये कुर्ग में तो व्यवस्थापक परिषद् है, अन्य सब छोटे प्रान्तों के वास्ते भारतीय व्यवस्थापक मंडल क़ानून बनाता है। इसका वर्णन आगे किया जायगा।

बड़े प्रान्तों का शासन; गवर्नर--बड़े प्रान्तों में प्रधान अधिकारी गवर्नर कहलाता है। वह अपने प्रान्त की सुख, शान्ति और उन्नति के लिये उत्तरदाता होता है।

सब प्रान्तों के गवर्नरों का वेतन और दर्जा बराबर नहीं है। बंगाल, बम्बई और मद्रास के गवर्नर ऊंचे माने जाते हैं। सब गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है, परन्तु उक्त तीन प्रान्तों के गवर्नर, इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों में से, भारत मन्त्री की सिफ़ारिश से नियत होते हैं। अन्य गवर्नर प्रायः भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों में से, गवर्नर जनरल के परामर्श से चुने जाते हैं।

प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य और मंत्री मंडल--गवर्नर अपने प्रान्त का शासन अपनी प्रबन्धकारिणी सभा और मन्त्री मण्डल की सहायता से करता है। प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होते हैं। इनकी संख्या, दो से चार तक होती है। इन सदस्यों में से कम से कम एक ऐसा होना चाहिये जिसे नियुक्ति के समय, कम से कम बारह वर्ष का, सरकारी नौकरी का अनुभव हो।

मन्त्री मंडल में दो या अधिक मन्त्री होते हैं। इन्हें गवर्नर अपने प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करता है। ये सरकारी कर्मचारियों में से नहीं हो सकते। इनका पद और वेतन प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों के समान ही है, परन्तु व्यवस्थापक परिषदों को इनका वेतन घटाने का अधिकार है। ये गवर्नर को परामर्श देने वाले हैं, परन्तु गवर्नर इनके परामर्श के अनुसार ही कार्य करने को बाध्य नहीं है; उसे इनके निर्णय के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार है। यदि मन्त्रियों और प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों में इस विषय का मत भेद हो, कि प्रान्तीय सरकार की एकत्रित आय में से सरकार के किस भाग को कार्य संचालन के लिये कितनी रक़म मिले, तो गवर्नर ही इसका निश्चय करता है।

शासन कार्य—बड़े प्रान्तों में प्रान्तीय सरकारों से

सम्बन्ध रखने वाले विषय दो भागों में विभक्त हैं। (१) रक्षित या 'रिज़र्वड' (Reserved), और (२) हस्तान्तरित या 'ट्रांसफ़र्ड' (Transferred)। रक्षित विषय वे हैं जिनके प्रबन्ध करने का अधिकार गवर्नर और उसकी प्रबन्धकारिणी सभा को है। हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध, गवर्नर अपने मन्त्रियों के परामर्श से करता है; इस प्रकार प्रान्तिक सरकार के दो भाग हैं; एक भाग में गवर्नर और उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य होते हैं, दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मन्त्री होते हैं। साधारणतया प्रान्तीय सरकार इकट्ठी ही किसी विषय का विचार करती है, तथापि यह गवर्नर की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी विषय का अपनी सरकार के केवल उस भाग से ही विचार करले जो उसका प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।

रक्षित विषय—भिन्न भिन्न प्रान्तों में कुछ अन्तर होते हुए भी, साधारणतया जो विषय रक्षित रखे गये हैं, उनमें से निम्न लिखित मुख्य हैं:—(१) आबपाशी व नहर, (२) ज़मीन की मालगुज़ारी, (३) अकाल निवारण, (४) सरकारी कार्यों के लिये ज़मीन हासिल करना, (५) न्याय विभाग, (६) जुए सम्बन्धी नियम, (७) विषैले पदार्थों की रोक थाम (८) औद्योगिक विषय, जिनमें कारख़ाने, मज़दूरी सम्बन्धी वाद विवाद, और मज़दूरों की कुशल सम्मिलित है,

(९) छोटे प्रान्तिक बन्दरगाह, (१०) रेलवे पुलिस को छोड़ कर, अन्य पुलिस, (११) समाचार पत्रों और छापेख़ानों का नियन्त्रण, (१२) जरायम पेशा जातियां और आवारा घूमने वाले योरोपियन, (१३) क़ैदख़ाने और सुधार गृह, (१४) प्रान्तीय सरकारी छापाख़ाना, (१५) भारतीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये मत देने और निर्वाचित होने की व्यवस्था, (१६) डाक्टरी तथा अन्य पेशों की योग्यता का निर्णय, (१७) अखिल भारतीय तथा अन्य सरकारी नौकरियां जो प्रान्त के अन्दर हों, (१८) नये प्रान्तीय कर, (१९) रुपया उधार लेना, (२०) मोटर गाड़ियों का प्रबन्ध।

हस्तान्तरित विषय—निम्न लिखित विषय प्रायः हस्तान्तरित किये गये हैं :—(१) स्थानीय स्वराज्य, (२) चिकित्सा विभाग, (३) सार्वजनिक स्वास्थ्य, (४) शिक्षा, (योरोपियनों और ऐंग्लो-इंडियनों की शिक्षा छोड़कर) (५) निर्म्माण कार्य विभाग (अर्थात् सड़कें, इमारतें) और ट्रामवे, (६) कृषि विभाग, (७) सहकारी समितियां, (८) जंगल, (९) आबकारी, (१०) दस्तावेज़ों की रजिस्टरी का विभाग, (११) जन्म, मृत्यु और शादियों का उल्लेख करने वाला विभाग (१२) धार्मिक और दान वाली संस्थायें, (१३) औद्योगिक विभाग तथा शिल्प शिक्षा, (१४) खाद्य तथा अन्य पदार्थों में

मिलावट, (१५) तोल और माप, (१६) अजायबघर, चिड़िया-घर और पुस्तकालय।

यदि किसी विषय के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि वह हस्तान्तरित है या नहीं, तो उसका निर्णय करने का अधिकार गवर्नर को है। ऐसे विषयों को जिनका सम्बन्ध हस्तान्तरित और रक्षित दोनों प्रकार के विषयों से हो, गवर्नर कुछ दशाओं में प्रान्तीय सरकार के दोनों भागों के विचारार्थ उपस्थित करता है। यदि उनमें मत भेद रहे तो वह स्वयं उसका निबटारा करता है। जो विषय हस्तान्तरित किया जा चुका है, वह भारत मन्त्री की स्वीकृति बिना वापिस नहीं लिया जा सकता, अर्थात् रक्षित नहीं बनाया जा सकता।

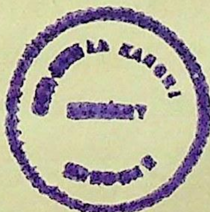
सेक्रेटरी—प्रत्येक मन्त्री, तथा प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य की सहायतार्थ प्रायः एक एक सेक्रेटरी, सरकारी अफ़सरों या प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नियत किया जाता है। जो सेक्रेटरी व्यवस्थापक परिषद में से नियत होते हैं, उन्हें कौंसिल-सेक्रेटरी कहते हैं। उनका वेतन व्यवस्थापक परिषद के मत से निश्चय होता है, इसलिये वे मन्त्रियों की भांति परिषद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।

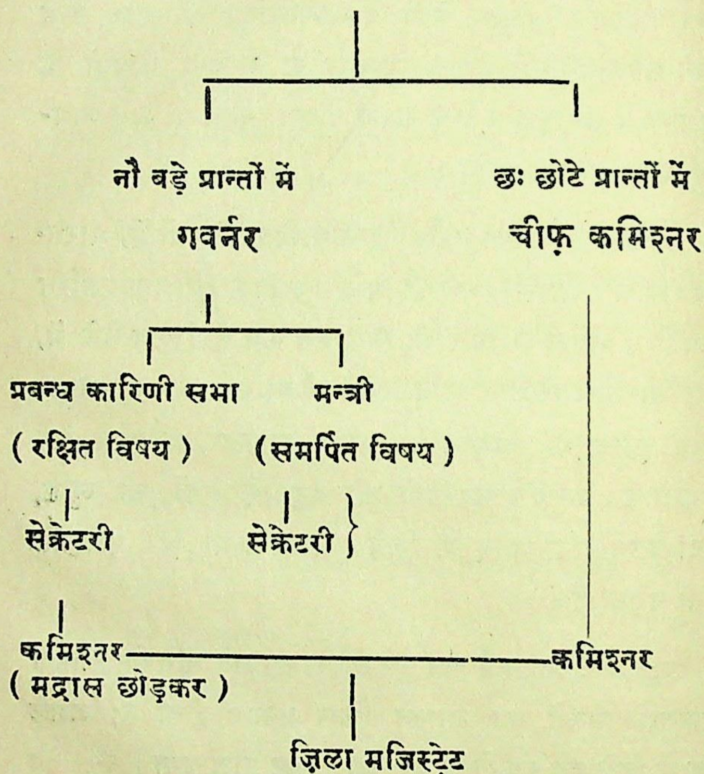
प्रान्तीय शासन में भारत सरकार और भारत

मन्त्री का सम्बन्ध—प्रान्तिक सरकारों का मुख्य कार्य क्षेत्र प्रान्तीय विषय (रक्षित तथा हस्तान्तरित) हैं। पर उन्हें अपने अपने प्रान्त में भारत सरकार के केन्द्रीय विषयों के सम्बन्ध में भी कुछ कर्तव्य पालन करना होता है, जैसे आय-कर वसूल करना, आदि।

प्रान्तों के रक्षित और हस्तान्तरित विषयों में, भारत-सरकार और भारत-मन्त्री को विविध अधिकार हैं। हस्तान्तरित विषयों में भारत सरकार का नियन्त्रण कम है। ऋण लेने में, और भारतीय सिविल सर्विस के कर्मचारियों के अधिकार, वेतन आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। प्रान्तीय सरकारों को बहुत से पदों की सृष्टि, तथा वेतन वृद्धि आदि के लिये भारत-मन्त्री की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

पाठको ! आशा है अब तुम यह समझ गये होगे कि ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का शासन किस प्रकार होता है; अगले पृष्ठ में दिये हुए नक़शे से यह और स्पष्ट होजायगा।




ब्रिटिश भारत
नौ बड़े प्रान्तों में
गवर्नर
छः छोटे प्रान्तों में
चीफ़ कमिश्नर
प्रबन्ध कारिणी सभा
(रक्षित विषय)
मन्त्री
(समर्पित विषय)
सेक्रेटरी
सेक्रेटरी
कमिश्नर
(मद्रास छोड़कर)
कमिश्नर
ज़िला मजिस्ट्रेट

चौथा पाठ.

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदें

पाठको ! पिछले पाठ से तुम्हें यह मालूम होगया कि प्रान्तों में शासन किस प्रकार होता है। आओ, अब यह विचार करें कि प्रान्तों के शासन प्रबन्ध के लिये क़ानून कौन बनाता है, और वे किस प्रकार बनाये जाते हैं।

अपने अपने प्रान्त सम्बन्धी कुछ क़ानून बनाने का अधिकार नौ बड़े प्रान्तों को मिला हुआ है। इसके लिये प्रत्येक बड़े प्रान्त में एक एक व्यवस्थापक परिषद अर्थात् लेजिस्लेटिव कौंसिल (Legislative Council) बनी हुई है। छोटे प्रान्तों में केवल कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद है। अन्य छोटे प्रान्तों के लिये क़ानून बनाने का काम, भारतीय व्यवस्थापक मंडल करता है। वही उन विषयों के क़ानून भी बनाता है, जिन का सम्बन्ध दो या अधिक बड़े प्रान्तों से हो। उसका वर्णन आगे किया जायगा।

परिषदों का कार्य-काल—प्रत्येक व्यवस्थापक परिषद की आयु साधारणतः तीन वर्ष की होती है, अर्थात् इतने

समय के बाद, उसका नया संगठन होजाता है। नये संगठन के लिये चुनाव होते समय, पुराने मेम्बर भी चुने जा सकते हैं, या नामज़द हो सकते हैं। गवर्नर यदि चाहे तो सभा के कार्य-काल की अवधि कुछ घटा बढ़ा सकता है।

सदस्य—प्रत्येक परिषद में उस प्रान्त की प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य, गवर्नर से नामज़द किये हुए सदस्य, तथा भिन्न भिन्न निर्वाचक संघों द्वारा निर्वाचित सदस्य, रहते हैं। इनका ब्यौरा परिशिष्ट में दिये हुए नक्शे से विदित होगा। प्रायः किसी परिषद के सदस्यों में २० फ़ी सदी से अधिक सरकारी, और ७० फ़ी सदी से कम निर्वाचित, नहीं होते।

साधारणतया पच्चीस वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक निर्वाचक, परिषद का सदस्य बनने के लिये उम्मेदवार हो सकता है। प्रत्येक उम्मेदवार को २1०) अमानत के तौर पर जमा करने होते हैं। चुनाव हो चुकने पर, यदि उसके हिस्से में अपने निर्वाचक संघ (Constituency) के समस्त मतों में से आठवें भाग से कम आवें तो यह अमानत ज़ब्त होजाती है; अन्यथा, यदि उसे इससे अधिक मत मिल जांय, तो यह उसे वापिस मिल जाती है।

निर्वाचक संघ—निर्वाचन के सुभीते के लिये प्रत्येक प्रान्त, ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों में

विभक्त किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचक समूह को निर्वाचक संघ कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचक संघ अपनी ओर से प्रायः एक एक (कहीं कहीं एक से अधिक) प्रतिनिधि चुनता है।

भारतवर्ष में दो प्रकार के निर्वाचक संघ हैं, साधारण और विशेष। व्यवस्थापक संस्थाओं (तथा कुछ स्थानों में म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों) के लिये साधारण निर्वाचक संघ, जाति-गत निर्वाचक संघों में विभाजित किये गये हैं, जैसे मुसलमानों का निर्वाचक संघ, ग़ैर-मुसलमानों का निर्वाचक संघ, इत्यादि।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये जाति-गत निर्वाचक संघ, प्रायः नगरों और ग्रामों में विभक्त किये गये हैं, जैसे मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ, ग़ैर-मुसलमानों का ग्राम निर्वाचक संघ इत्यादि।

विशेष निर्वाचक संघों में ज़मीदार, विश्व विद्यालय, व्यापारी, खान, नील और खेती, तथा उद्योग और वाणिज्य वाले निर्वाचक होते हैं।

कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते?— विशेषतया निम्न लिखित व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकतेः—

१—जो ब्रिटिश प्रजा न हों।

२—जो अदालत से पागल ठहराये गये हों।

३—जो इक्कीस वर्ष से कम आयु के हों।

[बर्मा में अठारह वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।

निर्वाचक कौन हो सकता है?(अ)साधारण निर्वाचक संघ में-जिन व्यक्तियों में निम्न लिखित योग्यतायें हों, * वे ही साधारण निर्वाचक संघ की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:—

१—जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के रहने वाले हों; और—

२-(क)जो ऐसे मकान के मालिक, या उसमें रहने वाले हों जिसका वार्षिक किराया ३६) रु० या उससे अधिकहो,

या (ख)—जो ऐसे शहर में जहां पर म्युनिसिपैलिटी द्वारा हैसियत-कर लिया जाताहो, २००) रु० की वार्षिक आय पर यह कर देते हो,

या(ग)—जो भारत सरकार को आय-कर देते हों,

* भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचकों की साम्पत्तिक योग्यता सम्बन्धी नियमों में भेद है। स्थानाभाव से हमने यहां संयुक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त के ही मुख्य मुख्य नियमों का उल्लेख किया है।

या (घ)—जो ऐसी ज़मीन के मालिक हों जिसकी आय निर्धारित रक़म या उससे अधिक हो,

[युक्त प्रान्त में, कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों में ज़मीन के सब मालिक, तथा अन्य स्थानों में २५) रु० वार्षिक मालगुज़ारी वाली ज़मीन के मालिक, निर्वाचक हो सकते हैं। मध्य प्रान्त में जो व्यक्ति किसी ऐसी इस्टेट या महाल के ठेकेदार या मालिक हों, जिसकी वार्षिक मालगुज़ारी १००) रु० से कम न हो, निर्वाचक हो सकते हैं]

या (च)—जिनके अधिकार में निर्धारित आय या उससे अधिक की ज़मीन हो,

[युक्त प्रान्त में ५०) रु० या अधिक वार्षिक लगान, और मध्य प्रान्त के भिन्न भिन्न ज़िलों में ३० रु० से ५० रु० या अधिक तक का वार्षिक लगान या मालगुज़ारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (छ)—जो भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकरी छोड़ चुकने वाले अफ़सर या सिपाही हों।

(आ) विशेष निर्वाचक संघ में—किसी विश्व विद्यालय के निर्वाचक संघ में मत देने का अधिकार उन्ही व्यक्तियों को होता है जो उसकी 'कोर्ट' या 'सीनेट' सभा के सदस्य हों, या जिन्होंने सात वर्ष पहिले बी. ए. की परीक्षा पास की हो, या जिन्होंने एम. ए. की डिगरी हासिल कर रखी हो, और

जो उसी प्रान्त में रहने वाले हों, जिस में उपर्युक्त निर्वाचक संघ है।

संयुक्त प्रान्तके ज़मींदार निर्वाचक संघ में, वह व्यक्ति निर्वाचक होसकता है जो अवध की ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन का सदस्य हो, या जो आगरा प्रान्त में रहता हो और ऐसी ज़मीन का मालिक हो जिसकी वार्षिक मालगुज़ारी ५००० रु० से कम न हो। मध्य प्रान्त में ३००० रु० या अधिक वार्षिक मालगुज़ारी देने वाले व्यक्ति ज़मींदार निर्वाचक संघ में निर्वाचक हो सकते हैं।

सभापति और उपसभापति—व्यवस्थापक परिषद का सभापति परिषद द्वारा निर्वाचित होकर गवर्नर से नियुक्त होता है। उपसभापति परिषद के सदस्यों में से ही, परिषद द्वारा चुना जाता है। सभापति और उपसभापति का वेतन परिषद द्वारा निश्चय होता है।

परिषदों के नियम—व्यवस्थापक परिषदों की कार्य प्रणाली के मुख्य मुख्य नियम इस प्रकार हैं:—

निर्वाचित और नामज़द सदस्यों को राजभक्ति की शपथ लेने के बाद, परिषदों के कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है। कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर परिषद में विचार नहीं हो सकता, उनके अन्तिम निर्णय का अधिकार गवर्नर को है।

सार्वजनिक महत्व के किसी ख़ास विषय की बहस करने के लिये परिषद् के अधिवेशन को कुछ शर्तों के साथ, मुलतवी करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। काम प्रायः अंगरेज़ी में होता है, अंगरेज़ी न जानने वाले सदस्य अपने प्रान्त की प्रधान भाषा में भाषण कर सकते हैं।

परिषदों के अधिकार—प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् को एक परिमित सीमा में कुछ नियमों का पालन करते हुए, यह अधिकार है कि वह अपने प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति अथवा सुप्रबन्ध के लिये सार्वजनिक महत्व का क़ानून बनावें, या अपने प्रान्त सम्बन्धी उन क़ानूनों का संशोधन करे जो भारत सरकार या प्रान्तीय संस्था ने बनाये हों। परिषदों को पार्लिमेंट के बनाये किसी क़ानून के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। कुछ विषयों के क़ानून बनाने या उन पर विचार करने के पूर्व, गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक है।

प्रश्न—परिषद् का कोई सदस्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रान्त सम्बन्धी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे विषयों के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, जिनका सम्बन्ध किसी देशी रियासत या विदेशी राज्य से हो, या जो अदालत में पेश हों। प्रश्न पूछने की सूचना भी कुछ समय पूर्व देनी पड़ती है। सभा में सरकारी सदस्य

उनका उत्तर देते हैं। एक प्रश्न का उत्तर मिल चुकने पर कोई सदस्य उसी समय ऐसा 'पूरक' (Supplementary) प्रश्न पूछ सकता है, जिससे पूर्व प्रश्न के विषय में कुछ प्रकाश पड़े।

प्रस्ताव—किसी परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपने प्रान्त सम्बन्धी कुछ सार्वजनिक विषय के प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। प्रस्ताव उपस्थित करने की सूचना, परिषद की बैठक होने के कुछ दिन पहले देनी होती है। सब प्रस्ताव सिफ़ारिश के रूप में होते हैं। यदि प्रस्ताव परिषद में स्वीकृत होजाय तो उसकी नक़ल गवर्नर के पास भेजी जाती है। गवर्नर चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता है, पर वह ऐसा करने के लिये वाध्य नहीं होता।

जिन विषयों का सम्बन्ध किसी देशी रियासत या विदेशी राज्य से हो, अथवा जिन विषयों पर अदालत में विचार हो रहा हो, उन पर प्रस्ताव उपस्थित नहीं किये जा सकते।

क़ानून कैसे बनते हैं?—सरकारी या ग़ैर-सरकारी, प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह परिषद में विचारार्थ किसी ऐसे विषय का क़ानूनी मसविदा या 'बिल' (bill) उपस्थित करे, जिस पर परिषद को विचार करने का अधिकार हो। सरकारी मसबिदा सरकार का ऐसा सदस्य उपस्थित करता है जिसका उससे सम्बन्ध हो। उदाहरणार्थ

हस्तान्तरित विषयों के मसविदे मंत्रियों द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। ग़ैर-सरकारी सदस्यों को अपने प्रस्तावों की सूचना पहले से देनी होती है। यदि परिषद इस पर विचार करना चाहे तो मसविदा प्रायः एक छोटी कमेटी या सिलेक्ट कमेटी (Select Committee) में भेजा जाता है। इस कमेटी का सभापति वह सरकारी सदस्य होता है जो इस विषय का अधिकार रखता हो। उसकी रिपोर्ट, परिषद में पेश की जाती है। पश्चात्, मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर, पृथक् पृथक् विचार किया जाता है। यदि बहुमत अनुकूल हो तो मसविदा पास किया जाता है, और गवर्नर की, तथा उसके पश्चात् गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिलने पर, वह क़ानून (Act) बन जाता है।

गवर्नर के अधिकार—गवर्नर व्यवस्थापक परिषद के अधिवेशन के लिये समय और स्थान नियत करता है। उसे परिषद के सन्मुख भाषण करने का अधिकार है, और इस कार्य के लिये वह परिषद के सदस्यों को बुला सकता है। वह परिषद को उसकी साधारण अवधि (तीन वर्ष) से पहले बर्ख़ास्त कर सकता है; अथवा, यदि वह, विशेष दशाओं में, उचित समझे तो उसे एक साल तक बढ़ा सकता है। बर्ख़ास्त करने की दशा में उसे परिषद के अगले अधिवेशन की तारीख़, उसको बर्ख़ास्त करने के समय से छः महीने तक की, अथवा भारत मंत्री की अनुमति से नौ महीने तक की, नियत

करनी होती है। अगर गवर्नर यह तसदीक़ करदे कि कोई क़ानूनी मसविदा या उसका कोई अंश या संशोधन ऐसा है जो उसके प्रान्त, या अन्य किसी प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति में बाधक होगा तो उक्त मसविदे या उसके किसी अंश या संशोधन पर परिषद में विचार नहीं होगा। वह परिषद् के स्वीकृत मसविदे को अस्वीकार कर सकता है।

यदि परिषद किसी रक्षित विषय सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे को उपस्थित किये जाने की अनुमति न दे, अथवा उसे उस रूप में पास न करे, जिसमें गवर्नर ने पास कराने की सिफ़ारिश की हो, तो गवर्नर यह तसदीक़ कर सकता है कि उक्त विषय सम्बन्धी उत्तरदायित्व-पालन के लिए उसका पास होना आवश्यक है। इस पर वह प्रायः उसी रूप में क़ानून बन जायगा, जिस रूप में वह उपस्थित किया जाने वाला था, अथवा जिसमें गवर्नर ने उसे पास करने की सिफ़ारिश की थी।

प्रान्तीय आय व्यय—प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अपने अपने प्रान्त की आय व्यय का अनुमान-पत्र या 'बजट' (Budget) प्रति वर्ष मार्च के महीने में उपस्थित करती है। इस अनुमान-पत्र के तैयार करने में, रक्षित विषयों के सम्बन्ध में प्रबन्ध कारिणी सभा के सदस्यों की, और हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में मन्त्रियों की सलाह ली जाती है। परिषद चाहे

तो इसकी किसी मद्द की रक़म को या उसके किसी अंश को अस्वीकार कर सकती है । इस सम्बन्ध में निम्न लिखित विषयों का ध्यान रखा जाता है :—

(१) सरकारी ऋण के ब्याज तथा कुछ अधिकारियों के वेतन आदि की मद्दों के प्रस्तावों पर परिषदों का मत नहीं लिया जाता ।

(२) अगर कोई मांग किसी रक्षित विषय सम्बन्धी हो, और गवर्नर यह निर्णय करदे कि उस विषय के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिये उसकी आवश्यकता है, तो प्रान्तीय सरकार परिषद् के निर्णय को रद्द कर सकती है ।

आवश्यकता समझने पर, गवर्नर को ऐसा ख़र्च स्वीकार करने का अधिकार है जो उसकी सम्मति में प्रान्त की शान्ति या सुरक्षा के लिये, अथवा किसी विभाग के संचालन के लिये ज़रूरी हो ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रान्तीय आय-व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्तिम, तथा सर्वोपरि अधिकार गवर्नर को है । हां, उसे गवर्नर-जनरल तथा भारत मन्त्री के आदेशानुसार कार्य करना होता है, इस बात का विचार आगे किया जायगा ।

पांचवां पाठ.



भारत सरकार

पाठको ! इस पुस्तक के तीसरे पाठ में, तुम्हें यह मालूम होगया है कि ब्रिटिश भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों का शासन किस प्रकार होता है। अब इस पाठ में तुम्हें यह बताया जायगा कि भारत सरकार या 'गवर्नमेण्ट आफ़ इण्डिया' (Government of India) किसे कहते हैं, और वह क्या क्या कार्य करती है।

भारत सरकार का अर्थ है, कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल, अर्थात् 'गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल' (Governor General-in-Council)। स्मरण रहे कि यहां कौंसिल से मतलब गवर्नर जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा है, व्यवस्थापक नहीं।

गवर्नर-जनरल या वाइसराय-गवर्नर-जनरल, भारत सरकार का सब से महत्व पूर्ण अंग है, और उसे उसके अन्य पदाधिकारियों की अपेक्षा विशेष अधिकार हैं। वह ब्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासन की निगरानी करता है और सब

गवर्नरों (तथा चीफ़ कमिश्नरों) से ऊपर है, इसलिये वह गवर्नर-जनरल कहलाता है। और, वह सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से देशी रियासतों में जाता है, सभा या दरबार करता है, और घोषणा-पत्र आदि निकालता है, इसलिये वह वायसराय कहलाता है। 'वायसराय' का अर्थ बादशाह का प्रतिनिधि है। साधारण व्यवहार में 'गवर्नर-जनरल' और 'वायसराय' शब्दों में कोई भेद नहीं माना जाता। अपने प्रधान मन्त्री की सिफ़ारिश से सम्राट किसी योग्य अनुभवी, एवं साधारणतः 'लार्ड' उपाधि प्राप्त व्यक्ति को गवर्नर-जनरल नियत करता है। इसकी अवधि प्रायः पांच साल की होती है, परन्तु यह समय सुभीते के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है।

गवर्नर-जनरल के अधिकार—अपनी प्रबन्धकारिणी सभा की अनुपस्थिति में गवर्नर-जनरल, किसी प्रान्तीय सरकार या किसी पदाधिकारी के नाम, स्वयं कोई आज्ञा निकाल सकता है। आवश्यकता होने पर, वह ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की शान्ति और सुशासन के लिए छः महीने के वास्ते अस्थायी क़ानून या 'आर्डिनेंस' (Ordinance) बना सकता है। यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी अदालत ने फ़ौजदारी मामले में अपराधी ठहराया हो, बिना किसी शर्त के, या कुछ शर्त लगाकर, क्षमा कर सकता

है। उसे (१) अपनी कौंसिल, (२) भारतीय व्यवस्थापक सभा और राज्य परिषद, (३) प्रान्तीय सरकारों, (४) प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों, और (५) नरेन्द्र मंडल के सम्बन्ध में विविध अधिकार हैं।

इस पाठ में उसके कौंसिल सम्बन्धी अधिकारों का ही वर्णन किया जायगा। उसके अन्य अधिकारों का उल्लेख दूसरे पाठों में प्रसंगानुसार किया गया है। अब हमें पहिले यह बतलाना है कि गवर्नर-जनरल की कौंसिल का संगठन कैसा है।

गवर्नर-जनरल की कौंसिल – गवर्नर-जनरल की कौंसिल अर्थात् प्रबन्धकारिणी सभा में इस समय स्वयं गवर्नर-जनरल के अतिरिक्त छः सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है। हां, कम से कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहियें जिन्होंने भारतवर्ष में दस वर्ष भारत सरकार की नौकरी की हो। क़ानूनी योग्यता के लिये एक सदस्य हाईकोर्ट का ऐसा वकील, अथवा इंगलैंड या आयर्लैंड का ऐसा बैरिस्टर, होना चाहिये जिसने दस वर्ष वकालत (प्रैक्टिस) की हो। इस तरह का कोई नियम नहीं है कि इस सभा में हिन्दुस्थानियों की अमुक संख्या रहे, सब सदस्य भी हिन्दुस्तानियों में से हो सकते हैं, इस समय तीन सदस्य हिंदुस्तानी हैं। सदस्य, सम्राट की अनुमति से पांच वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

भारत सरकार का कार्य—शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं—(१) अखिल भारतवर्षीय या केन्द्रीय विषय, और (२) प्रान्तीय विषय। इसी वर्गीकरण के आधार पर, भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार) और प्रान्तीय सरकारों के कार्यों तथा उनकी आय के स्रोतों का विभाग किया गया है। भारत सरकार पर केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त वह प्रान्तों के काम की देख भाल करती है। प्रान्तीय विषयों का वर्णन प्रान्तीय सरकार के पाठ में हो चुका है। केन्द्रीय विषय यहां बतलाये जाते हैं।

मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय—संक्षेप में, भारतवर्ष में मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय यह हैं:—

(१) देश रक्षा; भारतीय सेना तथा हवाई जहाज़, (२) विदेशों तथा विदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी रियासतों से सम्बन्ध। (४) राजनैतिक ख़र्च, (५) बड़े बन्दरगाह, । (६) डाक, तार, टेलीफ़ोन और बेतार के तार, (७) आयात-निर्यात-कर, नमक, और अखिल भारतवर्षीय आय के अन्य साधन, (८) सिक्का, नोट आदि, (९) भारतवर्ष का सरकारी ऋण, (१०) सेविंग बैंक, (११) भारतीय हिसाब परीक्षक विभाग, (१२) दीवानी और फ़ौज़दारी क़ानून तथा उनके कार्य विधान, (१३) व्यापार, बैंक और

बीमे का काम, (१४) तिजारती कम्पनियां और समितियां, (१५) अफ़ीम आदि पदार्थों की पैदावार, खपत और निर्यात का नियंत्रण, (१६) कापी राइट [किताब आदि छापने का पूर्ण अधिकार], (१७) ब्रिटिश भारत में आना, अथवा यहां से विदेश जाना, (१८) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, (१९) हथियार और युद्ध सामग्री का नियंत्रण, (२०) मनुष्य गणना और आंकड़े या स्टेटिसटिक्स (Statistics), (२१) अखिल भारतवर्षीय नौकरियां, और (२२) प्रान्तों की सीमा।

कार्य विभाग—इस समय भारत सरकार के कार्य निम्न लिखित आठ विभागों अर्थात् डिपार्टमेंटों (Departments) में विभक्त हैं :—

१—अर्थ या 'फाइनेंस' (Finance) विभाग। यह विभाग भारत सरकार का बजट बनाता है, और सरकारी आय व्यय का हिसाब रखता है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन, उनकी छुट्टी, पैंशन, भत्ता व पुरस्कारादि विषय इसी के अधीन हैं। देशी राज्यों के नज़राने और आय के कई एक श्रोतों, अफीम, चुंगी, सिक्का और टकसाल तथा डाक तार का भी प्रबन्ध यही विभाग करता है।

२-स्वदेश या ' होम ' (Home) विभाग। यह देश के

भीतरी शासन का निरीक्षण और प्रान्तीय सरकारों के कार्य संचालन की देख रेख करता है। इंडियन सिविल सर्विस, क़ानून, न्याय, जेल, काला पानी, अनधिकृत सम्पत्तियां, ईसाई धर्म, सिविल, मेडिकल सर्विस तथा पुलिस सम्बन्धी उच्च कर्मचारियों की संख्या ठहराना इसी विभाग का काम है। यही, भारत सरकार के दफ्तर और इम्पीरियल लायब्रेरी का प्रबन्ध करता है।

३—क़ानून या 'ला' (Law) विभाग। यह व्यवस्थापक सभा में क़ानून बनाने का तथा अन्य कानून सम्बन्धी कार्यों का प्रबन्ध करता है, तथा भारत सरकार को क़ानूनी विषयों में परामर्श देता है।

४—उद्योग तथा श्रम या 'इंडस्ट्री ऐंड लेबर' (Industry and Labour) विभाग। यह कारख़ानों तथा मजदूरी सम्बन्धी बातों का प्रबन्ध करता है।

५—शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि या 'ऐज्यूकेशन, हैल्थ ऐंड लैंड्स' (Education, Health and Lands) विभाग।

६—रेल और वाणिज्य अर्थात् 'रेलवेज़ ऐंड कामर्स (Railways and Commerce) विभाग।

७—विदेश या फ़ौरेन (Foreign) विभाग। यह ब्रिटिश भारत के बाहर की राजनीति का निर्णय करता है। एशिया के स्वाधीन राज्यों, भारतवर्षीय देशी रियासतों व सीमान्त पहाड़ी प्रदेशों से सम्बन्ध, राजनैतिक क़ैद, तथा पैन्शन और उपाधियों का प्रदान करना, विदेशी वाणिज्य, दूतों का स्वागत करना, शाही फ़ौज तथा राजकुमार कालिज का प्रबन्ध आदि कार्य इस विभाग के अन्तर्गत हैं।

८—सेना (Army) विभाग। यह जल तथा स्थल सेना और वायुयान आदि सम्बन्धी कार्य, और फ़ौजी सामान का प्रबन्ध करता है। फौजी स्वयं सेवक (वालंटियर) बनाने आदि के प्रश्नों की मीमांसा भी यही विभाग करता है।

उपर्युक्त विभागों में से प्रथम छः में से प्रत्येक के लिये गवर्नर-जनरल की प्रबन्ध कारिणी सभा का एक एक सदस्य रहता है। विदेश विभाग गवर्नर-जनरल के अधीन है, और सेना विभाग पर जंगी लाट अर्थात् कमांडरन-चीफ का प्रभुत्व है जो प्रबन्धकारिणी सभा का असाधारण सदस्य होता है।

सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारी—प्रबन्धकारिणी सभा के प्रत्येक सदस्य को सहायता देने के लिये, उपर्युक्त प्रत्येक विभाग में एक सेक्रेटरी (Secretary), एक डिप्टी सेक्रेटरी, कई ऐसिस्टिंट सेक्रेटरी तथा कुछ क्लर्क आदि

रहते हैं। सेक्रेटरी अपने विभाग के दफ्तर को संभालता है, और सभा की बैठक में उपस्थित होता है।

भारत सरकार के अधीन डाइरेक्टर-जनरल और इन्सपेक्टर-जनरल आदि कुछ और भी अधिकारी होते हैं। इनका काम यह है कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों के कार्य की निगरानी रखें और उन्हें यथोचित परामर्श दें।

प्रबन्धकारिणी सभा के अधिवेशन—इस सभा का अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताह होता है। उसमें उन विषयों पर विचार होता है जिन पर गवर्नर-जनरल विचार करवाना, अथवा जिन पर कोई सदस्य सभा का निर्णय लेना चाहे। अधिवेशन में सभापति स्वयं गवर्नर-जनरल अथवा उनका नियत किया हुआ कोई सदस्य होता है।

काम करने का ढंग—जब किसी विभाग सम्बन्धी कोई विचारणीय प्रश्न उठता है, तो उस विभाग का सेक्रेटरी उसका मसविदा तैयार करके गवर्नर-जनरल या उस सदस्य के सामने पेश करता है जिसके अधीन उक्त विभाग हों। साधारणतया सदस्य उस पर जो निर्णय करता है वही अन्तिम फ़ैसला समझा जाता है, परन्तु यदि प्रश्न विवाद-ग्रस्त हो या उसमें सरकारी नीति की बात आती हो तो सेक्रेटरी

का तैयार किया हुआ मसविदा सभा में पेश होता है। सभा के निर्णय को सेक्रेटरी प्रकाशित करता है। सभा के साधारण अधिवेशनों में, मत भेद वाले प्रश्नों के विषय में, बहुमत से काम करना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष समान हों तो जिस तरफ़ गवर्नर-जनरल (सभापति) मत प्रकट करे, उसी पक्ष के हक़ में फ़ैसला होता है। मगर गवर्नर-जनरल को इस बात का अधिकार रहता है कि यदि उसकी समझ में सभा का निर्णय देश के लिए हितकर न हो, तो सभा के बहुमत की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति के अनुसार कार्य कर सकता है।

भारत सरकार के अधिकार—भारत सरकार को ब्रिटिश भारत के शासन तथा सेना प्रबन्ध के निरीक्षण, तथा नियंत्रण का अधिकार है। वह कौंसिल-युक्त भारत मंत्री के नाम से ब्रिटिश भारत की किसी सम्पत्ति को बेच सकती है। प्रान्तीय सरकारों को उसकी आज्ञायें माननी होतीहैं वह प्रान्तों की सीमा नियत कर सकती हैं तथा बदल सकती है। प्रान्तीय सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से की शान्ति और सुशासन के लिये नियम बना सकती है। वह, हाईकोर्टों का अधिकार-क्षेत्र बदल सकती है और दो साल तक के लिए जज नियत कर सकती है। जिन बातों के लिये क़ानून में व्यवस्था न की हुई हो, उनके लिये वह भारत मंत्री

की स्वीकृति लेकर नियम बना सकती है। वह एशिया के राज्यों से सन्धि या समझौता कर सकती है। प्रान्तीय सरकारों तथा व्यवस्थापक परिषदों सम्बन्धी उसके अधिकारों का उल्लेख पिछले पाठों में हो चुका है। भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका वर्णन अगले पाठ में किया जायगा। सारांश यह है कि सम्राट की प्रतिनिधि होने के कारण, भारत सरकार को सम्राट की तरह के अधिकार प्राप्त हैं।

भारत सरकार अपने कार्यों के लिये ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। अगर गवर्नर जनरल या उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इग्लैंड की सरकार से किसी बात में सहमत न हों तो या तो उन्हें (१) अपने मत को दबाना पड़ेगा अथवा (२) त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र देने की अवस्था में उनके उत्तराधिकारियों को ब्रिटिश सरकार की आज्ञानुसार कार्य करना होगा।

गवर्नर-जनरल तथा भारत सरकार को सब कार्य भारत मंत्री के आदेश या परामर्श के अनुसार करने होते हैं। भारत मंत्री के विषय में तुम आगे सातवें पाठ में पढ़ोगे।

भारत सरकार की राजधानी देहली है; गर्मी में सरकार शिमला चली जाती है।

छटा पाठ.

भारतीय व्यवस्थापक मंडल

हम पहिले बता चुके हैं कि भारतवर्ष के बड़े बड़े प्रान्तों में क़ानून बनाने के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदें हैं। अब इस पाठ में हम यह बतलायेंगे कि छोटे प्रान्तों के लिये, तथा समस्त ब्रिटिश भारत के लिये क़ानून बनाने वाली संस्था—भारतीय व्यवस्थापक मंडल–का संगठन कैसा है, तथा उसके क्या नियमादि हैं।

भारतीय व्यवस्थापक मंडल कोई एक ही सभा नहीं है, इसकी दो सभायें हैं, (१) भारतीय व्यवस्थापक सभा या 'लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली' (Legislative Assembly) और (२) राज्य परिषद या ' कौंसिल आफ स्टेट '(Council of State) दोनों को मिलाकर भारतीय व्यवस्थापक मंडल अर्थात् 'इंडियन लेजिस्लेचर' (Indian Legislature) कहते हैं।

सिवाय कुछ ख़ास हालतों के कोई क़ानून पास हुआ नहीं समझा जाता, जब तक उसे दोनों सभायें स्वीकार न करलें। दोनों सभायें कुछ सदस्यों का स्थान ख़ाली रहने पर भी अपना कार्य कर सकती हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी

को निर्वाचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी सभा का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरी सभा का सदस्य हो जाय तो पहिली सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर किसी सज्जन का दोनों सभाओं में निर्वाचन होजाय तो वह किसी सभा में सम्मिलित होने से पूर्व, लिख कर यह सूचित करेगा कि वह कौनसी सभा का सदस्य रहना चाहता है, ऐसा होने पर दूसरी सभा में उसकी जगह ख़ाली होजायगी।

गवर्नर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर एक सदस्य दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नामज़द किया जाता है।

भारतीय व्यवस्थापक सभा—इस सभा के सदस्यों की कुल संख्या १४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं। नामज़द सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते। कम से कम ५ सदस्य अवश्य निर्वाचित होने चाहियें, और नामज़द सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई ग़ैर-सरकारी होने चाहियें। इनका विशेष व्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

व्यवस्थापक सभा की आयु तीन वर्ष है, परन्तु गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह इसका समय आवश्यकता-नुसार घटा बढ़ा सके।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों की तरह, भारतीय व्यवस्था...

सभा के लिये भी निर्धारित योग्यता के ग़ैर-मुसलमान, मुसलमान, सिख, योरोपियन, ज़मींदार और भारतीय व्यापारियों के भिन्न भिन्न निर्वाचक संघ (Constituencies) बनाये हुए हैं। निर्वाचक होनेके लिये साम्पत्तिक योग्यता भिन्न भिन्न प्रान्तों में पृथक् पृथक् है। संयुक्त प्रान्त में १८०) सालाना किराये के मकान में रहना या १५०) मालगुज़ारी देना चाहिये। पंजाब में १५,०००) की लागत के मकान का मालिक या ३३०) सालाना का किरायेदार होने, या १००) मालगुज़ारी, या ५,०००) पर आय-कर देने से निर्वाचन अधिकार मिलता है। मध्य प्रान्त के विविध ज़िलों में मकान के किराये का १८०) या २४०), और मालगुज़ारी का ९०) से १५०) तक परिमाण रखा गया है।

इस सभा के सदस्य बनने के नियम वैसे ही हैं, जैसे प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्य बनने के हैं।

इस सभा के सभापति और उप-सभापति, सभा के ऐसे सदस्य होते हैं जिसे यह चुनले, और गवर्नर-जनरल पसन्द करले। ये उस समय तक ही पदाधिकारी रहते हैं जब तक वे इस सभा के सदस्य होते हैं। इनका वेतन सभा द्वारा स्वीकृत होता है।

राज्य परिषद्—राज्य परिषद् में ६० सदस्य होते हैं;

३४ निर्वाचित, और सभापति को मिलाकर २६ गवर्नर जनरल द्वारा नामज़द। नामज़द सदस्यों में २० तक (अधिक नहीं) अधिकारियों में से हो सकते हैं। इनका विशेष ब्यौरा परिशिष्ट में दी हुई तालिका से स्पष्ट होगा।

राज्य परिषद का सभापति साधारणतः उसके सदस्यों में से ही गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिषद् के सदस्यों के नामों से पहिले सम्मानार्थ 'माननीय' या 'आनरेबल' (Honourable) शब्द लगाया जाता है। परिषद् का निर्वाचन प्रायः पांच वर्ष में होता है। गवर्नर-जनरल इस समय को आवश्यकतानुसार घटा बढ़ा सकता है।

भारतीय व्यवस्थापक सभा की तरह राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिये भिन्न भिन्न निर्वाचक संघ बनाये गये हैं।

भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचक के लिये आय-कर या ज़मीन के लगान की सीमा अलग अलग है। उदाहरणतः जो आदमी मदरास और मध्य प्रान्त में २०,०००) संयुक्त प्रान्त में १०,०००) पंजाब में १५,०००) और बिहार-उड़ीसा में १२,८००) पर आय-कर देता हो, वही निर्वाचक हो सकता है।

इसी प्रकार मध्य प्रान्त में ऐसी ज़मीन का मालिक निर्वाचक होता है, जिसका सालाना लगान ३,०००) से कम

न हो, संयुक्त प्रान्त में यह रकम ५,०००), पंजाब में ७,५००), और बिहार-उड़ीसा में १,२००) है।

कुछ प्रान्तों में मुसलमान निर्वाचकों के लिये आर्थिक योग्यता का परिमाण कुछ कम रखा है। तथापि यह स्पष्ट है कि इस परिषद् के लिये प्रायः बड़े बड़े ज़मीदारों और पूंजी वालों को ही निर्वाचन अधिकार प्राप्त है।

व्यवस्थापक मंडल का कार्य क्षेत्र—भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसी संस्था नहीं है जो स्वतन्त्रता पूर्वक क़ानून बना सके। उसके अधिकारों की सीमा बहुत परिमित है। जब तक पार्लिमेण्ट के एक्ट से स्पष्टतया ऐसा करने का अधिकार प्राप्त न हो, भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसा क़ानून नहीं बना सकता, जो पार्लिमेण्ट के भारतवर्षकी राज्य-पद्धति सम्बन्धी किसी एक्ट या अधिकार, अथवा सम्राट के आदेश पर प्रभाव डाले या उसे संशोधित करे।

व्यवस्थापक मंडल की कार्य पद्धति—व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं के अधिवेशन साधारणतः दिन के ११ से पांच बजे तक होते हैं। आरम्भ के पहिले घंटो में, प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। सभाओं के अन्य कार्य के दो भाग होते हैं, सरकारी और ग़ैर-सरकारी। ग़ैर-सरकारी काम के लिये गवर्नर-जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हैं,

इनमें ग़ैर-सरकारी सदस्यों के ही प्रस्तावों पर विचार होता है, अन्य दिनों में सरकारी काम होता है। सेक्रेटरी विचारणीय विषयों की सूची तैयार करता है, उसी के अनुसार कार्य होता है; सभापति की आज्ञा बिना, किसी नवीन विषय पर विचार नहीं किया जाता।

राज्य परिषद् में १५, और व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्यों की उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता। सदस्यों के बैठने का क्रम सभापति निश्चय करता है। सभाओं की भाषा अंगरेज़ी रखी गयी है। सभापति, अंगरेज़ी न जानने वाले सदस्य को देशी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।

प्रश्न—व्यवस्थापक मंडल की सभाओं का कोई सदस्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न उन ही विषयों के हो सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिससे पूर्व प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में और प्रकाश पड़े। सभापति को अधिकार है कि कुछ दशाओं में वह किसी प्रश्न, उसके अंश, या पूरक प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति न दे। किसी सरकारी विभाग के सदस्य से वही प्रश्न किये जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर पर उसका

सम्बन्ध हो; ऐसे प्रश्न पूछे जाने की सूचना कम से कम दस दिन पहिले देनी होती है।

प्रस्ताव—व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल सिफ़ारिश के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर वाध्य नहीं होते। इस संस्था में निम्न लिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो सकते :— विदेशी राज्यों या देशी रियासतों सम्बन्धी कोई विषय, और ऐसे विषय जो सम्राट के अधिकार-गत किसी स्थान की अदालत में पेश हों।

कुछ विषयों के लिये गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति विना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। गवर्नर-जनरल किसी प्रस्ताव या उसके किसी अंश का उपस्थित होना, इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि उस विषय के उपस्थित किये जाने से, सार्वजनिक हित को हानि पहुंचेगी अथवा, उपस्थित किया जाने वाला विषय भारत सरकार के कार्य क्षेत्र का नहीं है। उसकी अस्वीकृति होने की दशा में प्रस्ताव या उसका अंश कार्य क्रम में सम्मिलित न किया जायगा।

भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद में प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं, (१) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद करने के लिये सभा के साधारण कार्य को स्थगित

करने के, और (२) भारत सरकार से किसी कार्य के करने की सिफ़ारिश के। पहिले प्रकार का प्रस्ताव सभा के अधिवेशन में प्रश्नोत्तर के बाद ही, सेक्रेटरी को सूचना देकर, किया जा सकता है। सभापति इस प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता है। यदि किसी सदस्य को प्रस्ताव करने की अनुमति देने में आपत्ति हो तो सभापति कहता है कि अनुमति देने के पक्ष वाले सदस्य खड़े हो जांय। यदि राज्य परिषद में १५ या व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्य खड़े होजांय तो सभापति यह सूचित कर देता है कि अनुमति है, और ४ बजे या इससे पहिले प्रस्ताव पर विचार होगा।

दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए प्रायः १५ दिन, और कुछ दशाओं में इससे अधिक समय, पहिले सूचना देनी होती है। प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं, इसका निर्णय सभापति करता है।

क़ानून किस प्रकार बनते हैं ?—जब किसी सभा का कोई सदस्य किसी क़ानून के मसविदे (बिल) को पेश करना चाहता है तो वह नियमानुसार उसकी सूचना देता है। यदि उसके पेश करने के लिये, नियम के अनुसार, पहिले ही गवर्नर-जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक हो तो वह मांगी जाती है। अनुमति मिल जाने पर, निश्चित किये हुए

दिन, मसविदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे मसविदे के सिद्धान्तों पर विचार होता है। यदि आवश्यकता हो तो मसविदा साधारणतया उसी सभा की (जिसका सदस्य मसविदा पेश करे) या दोनों सभाओं की, विशेष कमेटी* में विचारार्थ भेजा जाता है। यह कमेटी उसके सम्बन्ध में संशोधन, परिवर्तन, या परिवर्द्धन आदि करके अपनी रिपोर्ट देती है। पश्चात, बिल के वाक्यांशो (Clauses) पर एक एक करके विचार किया जाता है और वे आवश्यक सुधार सहित पास किये जाते हैं। फिर सम्पूर्ण मसविदा, स्वीकृत संशोधनों सहित, पास करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पास होजाने पर मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहां पर फिर इसी क्रम के अनुसार विचार होता है। यदि मसविदा यहां बिना संशोधन के पास होजाय तो उसे गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिये भेज

---

* इस कमेटी में सरकार का क़ानून सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने वाले विभाग का सदस्य, मसविदे को पेश करने वाला तथा तीन या अधिक अन्य सदस्य होते हैं।

हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखने वाले क़ानून के मसविदों पर विचार करने के लिये दो पृथक् पृथक् स्थायी समितियां है। इन समितियों में, अधिकांश में, उस उस जाति के ही सुधारक तथा कट्टर सदस्य होते हैं। उनके अतिरिक्त, इन में उस उस जाति के क़ानूनी विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं।

दिया जाता है; स्वीकृति मिल जाने पर वह क़ानून बन जाता है। अगर दूसरी सभा में मसविदा संशोधनों सहित पास हो तो उसे इस निवेदन सहित लौटाया जाता है कि पहिली सभा उन संशोधनों पर सहमत होजाय। संशोधनों पर फिर वही कार्रवाई, सूचना देने, विचार करने, स्वीकृति या अस्वीकृति का समाचार भेजने आदि की, की जाती है। अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से लौटाया जाय कि दूसरी सभा ऐसे संशोधनों पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहिली सभा मानने को तैयार नहीं है तो वह सभा चाहे तो, (१) मसविदे को रोकदे, या (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गवर्नर-जनरल के पास भेज दे। दूसरी परिस्थिति में, मसविदा और संशोधन, दोनों सभाओं की ऐसी संयुक्त मीटिंग में पेश होंगे जो गवर्नर-जनरल अपनी इच्छानुसार छः महीने के बाद करे। इसके अध्यक्ष राज्य परिषद के सभापति होंगे। मसविदे और विचारणीय संशोधनों पर वादानुवाद होगा, जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होगा, वे स्वीकृत समझे जांयगे। इस प्रकार संशोधित मसविदा दोनों सभाओं से पास हुआ समझा जायगा।

गवर्नर-जनरल के अधिकार—गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि वह राज्य परिषद के सदस्यों में से किसी को सभापति नियुक्त करदे, अथवा ख़ास हालतों में, किसी दूसरे

सज्जन को सभापति का कार्य करने के लिये नियत करे। वह राज्य परिषद तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सन्मुख भाषण कर सकता है, और इस कार्य के लिये उनके सदस्यों की मीटिंग करा सकता है। कई प्रकार के मसविदे उसकी अनुमति बिना, किसी सभा में पेश नहीं हो सकते। दोनों सभाओं में पास होने पर भी मसविदा उसकी स्वीकृति बिना क़ानून नहीं बनता।

जब कोई सभा किसी क़ानूनी मसविदे के उपस्थित किये जाने की अनुमति न दे, या गवर्नर-जनरल की इच्छानुसार पास न करे तो यदि गवर्नर-जनरल चाहे तो उसे यह तसदीक़ करने का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरक्षा या हित की दृष्टि से इस मसविदे का पास होना आवश्यक है। उसके ऐसा तसदीक़ कर देने पर, वह मसविदा क़ानून बन जायगा, चाहे कोई सभा उसे स्वीकार न करे।

भारतीय आय-व्यय और भारत सरकार-भारत सरकार के अनुमानित आय व्यय का विवरण (बजट) प्रतिवर्ष भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सामने रखा जाता है। गवर्नर-जनरल की सिफ़ारिश बिना, किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। निम्न लिखित व्यय की मद्दों के लिये कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा

के मत (वोट) के लिये नहीं रखे जाते, न सालाना विवरण के समय कोई सभा उन पर वादानुवाद कर सकती है, जब तक गवर्नर-जनरल इसके लिये आज्ञा न दे :—

(१) ऋण का सूद ।

(२) ऐसा ख़र्च जिसकी रक़म क़ानून से निर्धारित हो ।

(३) उन लोगों की पेंशन या तनख्वाहें, जो सम्राट या भारत मन्त्री द्वारा, या सम्राट की स्वीकृति से, नियुक्त किये गये हों ।

(४) चीफ़ कमिश्नरों या जुडिशल कमिश्नरों का वेतन ।

(५) वह ख़र्च, जिसे कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल ने धार्मिक, राजनैतिक, या रक्षा अर्थात् सेना सम्बन्धी ठहराया हो ।

इन मद्दों को छोड़कर आय व्यय के अन्य विषयों के ख़र्च लिये कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के अन्य प्रस्ताव भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत के वास्ते, मांग के स्वरूप में, रखे जाते हैं । सभा को अधिकार है कि वह किसी मांग को स्वीकार करे या न करे, अथवा घटाकर स्वीकार करे, परन्तु कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल सभा के निश्चय को रद्द कर सकता है । वह ऐसे ख़र्च के लिये स्वीकृति भी दे सकता है जो उसकी सम्मति में देश की रक्षा या शान्ति के लिये आवश्यक हो ।

सातवाँ पाठ.

भारत मंत्री और उसकी सभा

पिछले पाठ से यह तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया है कि ब्रिटिश पार्लिमेंट को भारत सरकार के कार्य निरीक्षण तथा नियंत्रण करने का अधिकार है। पार्लिमेंट यह कार्य भारत मंत्री(तथा उसकी कौंसिल)के द्वारा करती है। पार्लिमेंट और भारत सरकार के बीच में भारत मंत्री मध्यस्थ की तरह है। इस पाठ में हम भारत मंत्री अर्थात् 'सेक्रेटरी-आफ-स्टेट फार इंडिया' (Secretary of State for India) तथा उसकी कौंसिल के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें बतलायेंगे।

भारत मन्त्री के दो सहायक मंत्री होते हैं; एक स्थायी, और दूसरा पार्लिमेंट की उस सभा का सदस्य जिसमें भारत मन्त्री न हो। भारत मंत्री के दफ्तर को 'इण्डिया आफ़िस' (India Office) कहते हैं।

भारत मन्त्री और उसका काय--भारत मन्त्री को सम्राट, अपने प्रधान मन्त्री के परामर्श से, नियत करते हैं। ब्रिटिश मन्त्री मण्डल का सदस्य होने के कारण, भारत मन्त्री की नियुक्ति व बरख़ास्तगी वहां के अन्य राजमंत्रियों

के साथ लगी हुई है। वह पार्लिमैंट के सामने प्रति वर्ष मई महिने की पहिली तारीख़ के बाद, जिस दिन पार्लिमैंट का अधिवेशन आरम्भ हो, उससे २८ दिन के भीतर, भारतवर्ष के आय व्यय का हिसाब पेश करता है। उसी समय, वह इस बात की सविस्तर रिपोर्ट देता है कि गत आलोचनीय वर्ष की नैतिक, सामाजिक व राजकीय उन्नति किस प्रकार अथवा कितनी हुई है। ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा या 'हाउस-आफ-कामन्स' (House of Commons) की एक कमेटी इस पर विचार करती है और भारत मन्त्री या उसका प्रतिनिधि इसे समझाने के लिये व्याख्यान देता है। उस समय पार्लिमैंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी विषयों पर आलोचना कर सकते हैं। इसे 'बजट' की बहस कहते हैं।

समय समय पर पार्लिमैंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक सूचना देते रहना भी। भारत मन्त्री का ही काम है। सम्राट चाहें तो इसके द्वारा भारत सरकार के बनाये क़ानून को रद्द कर सकते हैं। भारतवर्ष के जंगी लाट (कमांडरन चीफ़) बंगाल, बम्बई और मद्रास के गवर्नर, इनकी कौंसिलों के सदस्य, हाईकोर्ट के जज, तथा अन्य उच्च राजकर्मचारियों की नियुक्ति के लिये, यह सम्राट को सम्मति देता है।

भारत मन्त्री, भारतीय शासन के लिये पार्लिमैंट के प्रति

उत्तरदाता है। उसे भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीक्षण और नियंत्रण के नियम बनाने का अधिकार है। वह प्रान्तों के 'हस्तान्तरित' विषयों के नियम बनाकर पार्लिमेंट की दोनों सभाओं में पेश करता है। 'रक्षित' विषयों के नियम उसे पहिले पार्लिमेंट की दोनों सभाओं में पेश करके स्वीकार कराने पड़ते हैं।

इंडिया कौंसिल—भारत मंत्री को शासन सम्बन्धी कार्य में सहायता या परामर्श देने वाली सभा 'इंडिया कौंसिल' (India Council) कहलाती है। इसका अधिवेशन भारत मंत्री की आज्ञा से एक मास में एक बार होता है। इसके सभापति भारत मंत्री अथवा उसका सहकारी मंत्री, या भारत मंत्री द्वारा नामज़द, कौंसिल का कोई सदस्य होताहै। इस कौंसिल के सदस्यों को भारत मंत्री नियुक्त करता है। भारत मंत्री को कौंसिल में साधारण मत ('वोट') देने के अतिरिक्त एक अधिक मत देने का भी अधिकार है। वह विशेष अवसरों पर इस कौंसिल के बहुमत बिना भी कार्य कर सकता है।

भारत मंत्री 'इंडिया कौंसिल' की कुछ कमेटियां बना सकता है और यह आदेश कर सकता है कि उन कमेटियों के अधीन क्या क्या विभाग रहेंगे और कौंसिल का कार्य किस

पद्धति से किया जायगा। साधारणतया भारतवर्ष को कोई आज्ञा या सूचना भेजने, अथवा गवर्नर-जनरल या प्रान्तीय सरकारों के साथ भारत मन्त्री का पत्र व्यवहार होने का ढंग कौंसिल-युक्त भारत मन्त्री द्वारा निश्चित किया जाता है।

कौंसिल के सदस्य—इस कौंसिल के सदस्यों की संख्या ८ से १२ तक होती है। इनमें से आधे सदस्य वे ही हो सकते हैं जो भारतवर्ष में, भारत सरकार की नौकरी, कम से कम दस वर्ष तक कर चुके हों और, जिन्हें वह नौकरी छोड़े पांच वर्ष से अधिक न हुए हों। प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष के लिये चुना जाता है, विशेष कारण होने से उसका समय पांच वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। सदस्य किसी भी देश या धर्म का हो, इस बात का कोई बन्धन नहीं है। प्रायः तीन सदस्य हिन्दुस्तानी होते हैं। प्रत्येक सदस्य का मासिक वेतन १५०० रुपये हैं, भारतीय सदस्यों को ७५० रु० मासिक भत्ता और मिलता है। कौंसिल का कुछ ख़र्च ब्रिटिश कोष से दिया जाता है।

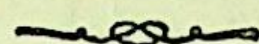
सदस्यों के अधिकार—इंडिया कौंसिल के सदस्यों का काम यह है कि भारत मन्त्री को भारतीय विषयों में ज्ञान प्राप्त करावें। परन्तु सदस्य किसी विषय पर केवल अपनी सम्मति प्रगट कर सकते हैं। भारत मन्त्री को अधिकार है

कि उसे, कुछ विषयों को छोड़कर, माने या न माने। भारत मन्त्री को कोई इसके लिये वाध्य नहीं कर सकता। कौंसिल के सदस्य भारत-मन्त्री की आज्ञानुसार लंदन में भारतवर्ष सम्बन्धी काम करते हैं। इन सदस्यों को पार्लिमेंट में बैठने का अधिकार नहीं है, इन्हें इनके काम से हटाने का अधिकार पार्लिमेंट को ही है।

हाई कमिश्नर—यह अधिकारी ५ वर्ष के लिये नियुक्त होता है, इसका वार्षिक वेतन तीन हज़ार पौंड है, जो भारतीय कोष से दिया जाता है। यह कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के अधीन है और उसी के द्वारा भारत मन्त्री की अनुमति से नियुक्त किया जाता है। इसका काम है, ठेके देना, इंडिया आफ़िस का स्टोर्स (Stores) विभाग, और इसी के सम्बन्ध की हिसाब की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा और भारतीय ट्रेड (व्यापार) कमिश्नर के कार्य का निरीक्षण।

———

आठवां पाठ.



पार्लिमैंट, और भारतीय शासन सुधार

हम पहिले बता आये हैं कि भारतवर्ष के शासन का, भारत मंत्री तथा ब्रिटिश पार्लिमैंट और सम्राट से, घनिष्ट सम्बन्ध है। इस देश में जो शासन पद्धति प्रचलित है, वह पार्लिमैंट के द्वारा निश्चित की हुई है, और वही इसमें सुधार या परिवर्तन करती है। अब हम तुम्हें सम्राट और पार्लिमैंट के बारे में मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान प्राप्त करायेंगे और यह भी बतलायेंगे कि हमारे देश में शासन सुधारों की क्या गति है।

बादशाह और गुप्त सभा—इंगलैंड का बादशाह ही भारतवर्ष का सम्राट कहलाता है। उसे शासन कार्य में परामर्श देने के लिये एक गुप्त सभा अर्थात् 'प्रिवी कौंसिल' (Privy Council) रहती है।

गुप्त सभा की एक जुडिशल (न्याय सम्बन्धी) कमेटी भारतवर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की अदालतों के फ़ैसलों

की अपील सुनने का अधिकार रखती है। गुप्त सभा के कुल सदस्यों की संख्या ३०० से ऊपर हो जाती है परन्तु प्रायः छः सदस्यों से ही काम चलजाता है।

पार्लिमैंट—इंगलैंड का बादशाह सब काम, अपने मंत्रियों की सलाह से करता है और राज्य प्रबन्ध के लिये मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं। जिन प्रस्तावों को पार्लिमैंट स्वीकार करलेती है, उन पर बादशाह हस्ताक्षर कर देता है, और वे क़ानून बन जाते हैं। इस प्रकार यद्यपि भारतवर्ष का सम्राट वह है, इस देश का शासन-सूत्र वास्तव में पार्लिमैंट के हाथ में है।

ब्रिटिश पार्लिमैंट की दो सभायें हैं, अंगरेज़ी सरदार सभा या हाउस-आफ़-लार्ड्स (House of Lords), और अङ्गरेज़ी प्रतिनिधि सभा या हाउस-आफ़-कामन्स (House of Commons)। 'लार्ड्स' का अर्थ है स्वामी या प्रभु, और कामन्स का अर्थ है सर्व साधारण। अङ्गरेज़ी सरदार सभा में लगभग ७०० सदस्य हैं। इनमें से छः सौ से अधिक वंशागत, और शेष में कुछ तो पादरी, कुछ स्काटलैंड और आयर्लैण्ड के चुने हुए सरदार और छः जज हैं। ये लोग प्रायः अनुदार तथा परिवर्तन विरोधी होते हैं।

अङ्गरेज़ी प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित होते

हैं। उनकी कुल संख्या छः सौ पन्द्रह है। निर्वाचकों और निर्वाचित होने वाले सदस्यों में निर्धारित गुण होना आवश्यक है। औरतों को भी मत देने तथा मेम्बर बनने का अधिकार है। इस सभा का प्रत्येक ग़ैर-सरकारी सदस्य ४०० पौंड वार्षिक वेतन पाता है। सदस्यों का नया निर्वाचन प्रायः पांच वर्ष में होता है।

व्यवस्था—कोई क़ानून (एक्ट) बनने से पहिले सम्राट और पार्लिमेण्ट की दोनों सभाओं का एक मत होना आवश्यक है। साधारण तौर से क़ानून के मसविदे तीन प्रकार के होते हैं। (१) सार्वजनिक, जो जनता के सम्बन्ध में हो, (२) व्यक्तिगत, जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से सम्बन्ध रखता हो, (३) धन सम्बन्धी, जो सार्वजनिक कामों के लिये रुपया देने या टैक्स लगाने के आदि के सम्बन्ध में हो। धन सम्बन्धी मसविदे पहिले प्रतिनिधि सभा में ही उपस्थित किये जाते हैं। उनको छोड़कर दूसरे मसविदे दोनों सभाओं में से किसी में ही उपस्थित किये जा सकते हैं। हर एक सभा दूसरी सभा के पास किये मसविदे का संशोधन कर सकती है, लेकिन सरदार सभा धन सम्बन्धी मसविदों का संशोधन नहीं कर सकती। अगर कोई मसविदा सरदार सभा से दो बार अस्वीकृत होजाय तो प्रतिनिधि सभा से तीसरी बार स्वीकृत होने पर, उसे बादशाह की स्वीकृति के लिये भेज

दिया जाता है, और उसकी स्वीकृति मिलजाने पर वह क़ानून बन जाता है। इन विशेष दशाओं के अतिरिक्त साधारणतः हर एक मसविदा सम्राट की स्वीकृति पाने से पूर्व दोनों सभाओं में तीन बार पढ़ा जाना और पास होना आवश्यक है। प्रायः दोनों सभायें सहमत हो जाती हैं, या मत भेद की दशा में कुछ समझौता कर लेती हैं।

मंत्री मंडल--आज कल इंगलैंड में तीन राजनैतिक दल पार्टियां (Parties) मुख्य हैं (१) उदार या 'लिबरल' (Liberal), (२) अनुदार या 'कंज़र्वेटिव' (Corservative) और (३) मजदूर या 'लेबर' (Labour) दल। शासन सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च पदाधिकारी उस राजनैतिक दल के आदमियों में से नियत किये जाते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि सभा में सब से अधिक हो, या जो विशेष प्रभावशाली हो और इतने अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सके कि कुल सदस्य मिलकर विरोधी दल के सदस्यों से अधिक हो जांय। ये पदाधिकारी लगभग पचास होते हैं और मन्त्री या मिनिस्टर (Ministers) कहलाते हैं। इनके समूह को मन्त्री दल अर्थात् मिनिस्टरी (Ministry) कहते हैं।

कुछ मुख्य मुख्य विभागों के मन्त्रियों की एक अन्तरंग

सभा होती है। इसे मन्त्री मण्डल या केबिनेट (Cabinet) कहते हैं। मन्त्री मण्डल को ब्रिटिश राज्य चक्र की धुरी समझना चाहिये। यह सब शासन कार्य का उत्तरदायी है। इसमें प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त लगभग २० मन्त्री रहते हैं।

जब एक मन्त्री मंडल त्याग पत्र देता है तो बादशाह दूसरा मन्त्री मंडल बनाने के लिये किसी दूसरे राजनीतिज्ञ को बुलाता है। अगर यह राजनीतिज्ञ अपने कार्य में सफल हो जाय तो इसे प्रधान मंत्री बना दिया जाता है।

प्रधान मन्त्री, मन्त्री मंडल के अधिवेशनों में सभापति होता है और सरकार की नीति ठहराता है और अन्य विविध विभागों की निगरानी करता है। भारत मन्त्री भी मन्त्री मण्डल का एक सदस्य होता है।

अंगरेज़ों का भारतवर्ष से सम्बन्ध—अब हम तुम्हें यह बतलायेंगे कि पार्लिमेण्ट का भारतवर्ष के शासन से क्या सम्बन्ध है। पहिले संक्षेप में यह जान लेना चाहिये कि यह सम्बन्ध किस समय से, तथा किस प्रकार हुआ।

मोटे हिसाब से भारतीय इतिहास में अंगरेज़ों का समय चार भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

१—सन् १६०० से १७५७ ई० तक, लगभग डेढ़ सौ वर्ष।

इस समय में अंगरेज़ी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतवर्ष में अपने व्यापार की वृद्धि की।

२—सन् १७५७ से १८५७ ई० तक, सौ वर्ष। इस समय में कम्पनी के राज्य का विस्तार हुआ। सन् १८५७ ई० में कम्पनी के शासन का अन्त हुआ, और ब्रिटिश पार्लिमेण्ट ने भारतीय शासन प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया।

३—सन् १८५८ से १९१७ ई० तक, लगभग साठ वर्ष। इस समय में शिक्षा का कुछ प्रचार हुआ। रेल, तार, डाक, सिंचाई और स्वास्थ आदि की उन्नति हुई। १८८४ ई० से स्थानीय स्वराज्य का कार्य क्रमशः बढ़ाया गया। शासन-प्राप्ति प्रबन्ध में कुछ सुधार हुए।

४—सन् १९१७ ई० से अब तक। इस समय में शासन सुधार, उत्तरदायी शासन नीति का व्यवहार, और स्वराज्य प्राप्ति के लिये जनता का आन्दोलन हुआ।

पार्लिमेण्ट का प्रबन्ध—पार्लिमेण्ट सन् १७७३ ई० से प्रति बीसवें वर्ष, भारत के सुशासन के लिये क़ानून बनाती थी। परन्तु शासन-व्यवस्था में भारतवासियों का कुछ हाथ न रहा। सन् १८५८ ई० में पार्लिमेण्ट की सम्मति से इंगलैंड की रानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन सम्बन्धी सब अधिकार अपने हाथ में ले लिये और राजकीय घोषणा द्वारा,

यह प्रतिज्ञा की कि हम देशी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, प्रजा के धार्मिक विचारों में हस्तक्षेप न करेंगे, जाति या धर्म का पक्षपात न कर सबको योग्यतानुसार नौकरियां देंगे, तथा ब्रिटिश प्रजा के समान व्यवहार करेंगे।

उक्त वर्ष में ही "भारतवर्ष को बेहतर तरीक़े से शासन करने" का क़ानून पास हुआ। इसके अनुसार भारतवर्ष के लिये एक राज-मन्त्री (भारत मन्त्री) और उसकी कौंसिल (इंडिया कौंसिल) की सृष्टि हुई। इनका वर्णन पहिले किया जा चुका है।

पिछले सत्तर वर्षों में यहां समय समय पर कुछ शासन सुधार हुए तथा जनता की राजनैतिक आकांक्षायें बढ़ीं। सन् १९१४ ई० में योरुपीय महायुद्ध आरम्भ हुआ। उसमें भारतवर्ष ने जन धन से महान सहायता की। तब से यहां जागृति में नयी लहर पैदा हो गयी है। स्वराज्य की मांग अधिक उच्च और स्पष्ट स्वर से की जाने लगी। इसके फल स्वरूप सन् १९१६ ई० में यहां कई सुधार योजनायें तैयार की गयीं, और भारत सरकार ने इस विषय में ब्रिटिश सरकार से पत्र व्यवहार किया।

नवीन नीति की घोषणा—अन्ततः २० अगस्त १९१७ को अंगरेज़ी प्रतिनिधि सभा में भारत मन्त्री ने नवीन नीति की घोषणा की, जिसकी मुख्य बातें यह हैं :—



१—भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का ध्येय, रखा जाय।

२—इसकी प्राप्ति के लिये भारतवासियों को शासन कार्य के प्रत्येक भाग में क्रमशः अधिकाधिक भाग दिया जाय।

३—भारतवर्ष जो उन्नति करे, वह ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रहते हुए ही करे।

४—भारतवर्ष की राजनैतिक उन्नति क्रमशः, मंज़िल दर मंज़िल ही हो सकती है।

५—प्रान्तीय सरकारों को आन्तरिक शासन के लिये भारत सरकार से अधिकाधिक स्वतन्त्रता दी जाय।

६—उन्नति-क्रम के समय और सीमा का निर्णय ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार करेंगी।

नवीन शासन पद्धति—पिछला सुधार क़ानून सन् १९१९ ई० में बना था। उसका उद्देश्य भारत वासियों को उत्तरदायी शासन का अधिकार देना है। * परन्तु जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, अभी केन्द्रीय शासन में वह

* उत्तरदायी शासन पद्धति का तात्पर्य यह है कि प्रबन्ध कारिणी के सदस्य, प्रजा प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों, और वे उनके द्वारा हटाये भी जा सकें।

आरम्भ नहीं किया गया है; भारत सरकार ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति ही उत्तरदायी है। प्रान्तीय शासन में भी, केवल नौ प्रान्तों का शासन कुछ अंश में उत्तरदायी किया गया है। व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये, अब ७५ लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकार प्राप्त है।

शासन-सुधार-कमीशन—सन् १९१९ ई के क़ानून में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि दस वर्ष में एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो भारतवर्ष की राज्यपद्धति, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की वृद्धि, और प्रतिनिधिक संस्थाओं के विकास की जांच करे, और इस बात की रिपोर्ट करे कि उस समय जो उत्तरदायी शासन प्रचलित हो उसे कहां तक बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक होगा।

यह कमीशन नियुक्त होगया है। इसके सात सदस्य हैं, सब के सब अंगरेज़ हैं। किसी भारतवासी को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। इस लिये यहां के विविध दलों ने इसके बहिष्कारके भाव प्रकट किये हैं। देखें, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ क्या विचार करते हैं।

अस्तु, अब यह स्पष्ट है कि सम्राट और पार्लिमेंट का भारतवर्ष के प्रान्तों के शासन से किस प्रकार का सम्बन्ध है; इसे नक्शे में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है:—

सम्राट तथा पार्लिमेंट

|

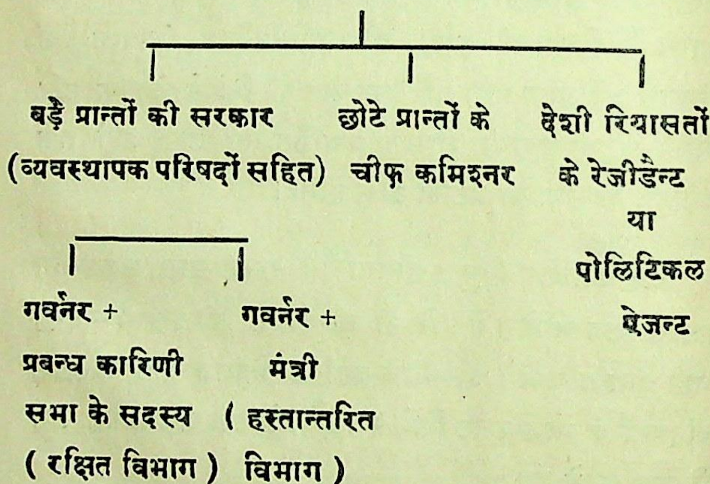
प्रधान मंत्री तथा मंत्री मंडल

|

भारत मंत्री और उसकी सभा

|

भारत सरकार [गवर्नर जनरल (या वाइसराय)
तथा उसकी प्रबन्ध कारिणी सभा]



नवां पाठ.

देशी रियासतें

इस पुस्तक के पहिले पाठ में यह बताया गया था कि राज्य प्रबन्ध की दृष्टि से भारतवर्ष के चार भाग हैं:— (१) स्वाधीन राज्य, (२) फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ राज्य, (३) ब्रिटिश भारतवर्ष, और (४) देशी रियासतें। इनमें से प्रथम दो भागों के सम्बन्ध में आवश्यक बातें उसी पाठ में बतादी गयी थीं। उसके पीछे के पाठों में अब तक ब्रिटिश भारत की शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब इस पाठ में भारतवर्ष के शेष महत्व पूर्ण भाग अर्थात् देशी रियासतों के विषय में विचार किया जायगा।

साधारण परिचय—देशी रियासतों से भारतवर्ष के उन भागों का प्रयोजन है जिनका आन्तरिक शासन यहां के ही राजा या सरदार, विविध सधियों के अनुसार, सम्राट की अधीनता में रहते हुए, करते हैं। छोटी बड़ी सब रियासतों की संख्या ५६२ है। इनमें से कुछ अपने विस्तार में योरप के बड़े बड़े राष्ट्रों के समान हैं और बहुत सी, बहुत छोटी छोटी हैं। ये तीन श्रेणियों में विभक्त है।

प्रथम श्रेणी में बड़ी बड़ी अथवा ऊंचे दर्जे की पृथक् पृथक् रियासतें हैं। इन रियासतों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है; इनमें से प्रत्येक में एक रेज़ीडेंट (सरकारी प्रतिनिधि) रहता है। ये रियासतें हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, कश्मीर, ग्वालियर और सिक्कम हैं।

दूसरी श्रेणी में उन रियासतों के समूह हैं जो पास पास हैं। प्रत्येक समूह 'एजन्सी' कहलाता है, उसमें वायसराय का एक एजन्ट रहता है। ये एजंसियां राजपूताना एजंसी, मध्य भारत एजंसी, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एजंसी और बिलोचिस्तान एजंसी हैं।

तीसरी श्रेणी में सैकड़ों छोटी छोटी रियासतें हैं जो सरकारी प्रान्तों या ज़िलों के बीच में हैं। ये प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं। इनमें से कुछ में पृथक् पृथक् पोलिटिकल अफ़सर रहते हैं, शेष की देख भाल का काम ज़िलों के कलेक्टरों के के ही सुपुर्द है। कुछ अधिक महत्व वाली रियासतों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध रखने के विषय में विचार हो रहा है। काठियावाड़ के राजाओं का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध होगया है।

देशी रियासतों के अधिकार——देशी रियासतों के निवासी अपने अपने नरेश की प्रजा हैं। साधारणतया इन पर

अथवा इनके शासकों पर ब्रिटिश भारत का क़ानून नहीं लग सकता। हां, देशी रियासतों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा पर, तथा रेज़ीडेन्सी, छावनी, रेल या नहर की भूमि में, अथवा राजकोट या बड़वान (गुजरात) जैसे स्थानों में जहां व्यापार आदि के कारण बहुत से अंगरेज़ रहते हों, अंगरेज़ी सरकार के ही क़ानून का व्यवहार होता है। ब्रिटिश भारत का यदि कोई अपराधी किसी देशी रियासत में भाग जाय तो वह उसके नरेश की आज्ञा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता है। देशी रियासतों की प्रजा अपनी रियासत की सीमा के बाहर, ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है।

साधारणतया भारतीय नरेश अपनी प्रजा से कर लेते हैं, और उसके दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का फ़ैसला करते हैं। कुछ नरेश अपने यहां आने वाले माल पर चुंगी लेते हैं। कुछ अपने रुपये आदि सिक्के भी ढालते हैं। परन्तु इन सब को अपने यहां अंगरेज़ी रुपये को वही स्थान देना पड़ता है जो उसे ब्रिटिश भारत में मिला है।

भारत सरकार से सम्बन्ध--पहिले बताया जा चुका है कि भारत सरकार का एक विभाग 'विदेश विभाग' कहलाता है। इसका सम्बन्ध विदेशी राज्यों के अतिरिक्त भारतवर्ष की देशी रियासतों से भी होता है। यह विभाग स्वयं गवर्नर-जनरल के अधीन है।

देशी रियासतों के प्रति भारत सरकार की नीति यह है कि जब तक ये उसके प्रति राजभक्ति बनायी रक्खें और पहिले की हुई संधियों की शर्तों का यथोचित पालन करती रहें तब तक सरकार इनकी रक्षा करेगी और इनका अस्तित्व बनाये रखेगी। साधारण दशा में भारतीय नरेश अपनी रियासतों का स्वयं प्रबन्ध करते हैं। परन्तु आवश्यक समझने पर भारत सरकार इनके प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर सकती है। भारतीय नरेश सरकार के परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकते। भारत सरकार जिस नरेश को अयोग्य या असमर्थ समझे, उसे गद्दी से उतार कर, उसके किसी सम्बन्धी को पदारूढ़ कर देती है। यदि किसी नरेश के सन्तान न हो तो उसे उत्तराधिकारी या वारिस गोद लेने की इजाज़त दी जाती है। वारिस की नाबालग़ी (अल्पावस्था) की हालत में सरकार देशी राज्य के शासन का प्रबन्ध करती है। इन रियासतों को इस बात की अनुमति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा बिना परस्पर एक दूसरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से, किसी प्रकार का राजनैतिक व्यवहार कर सकें अथवा किसी विदेशी को अपने यहां नौकर रख सकें। इन रियासतों की रक्षा का भार सरकार ने अपने ऊपर रखा है और इन्हे सरकार की सहायता के लिये कुछ सेना रखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त ये थोड़ी सी फ़ौज अपनी आन्तरिक शान्ति

अथवा दिखावे के लिये रख सकती हैं, परन्तु किसी पर चढ़ाई करने, अथवा किसी की चढ़ाई से अपने को बचाने के लिये ये कोई फ़ौज नहीं रख सकतीं।

भविष्य में देशी रियासतों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे तथा उनका ब्रिटिश भारत से आर्थिक व्यवहार कैसा हो, इसका विचार करने के लिये पिछले दिनों एक कमेटी नियुक्त हुई है, जिसके तीनों सदस्य अंगरेज़ हैं। नरेशों ने अपने अधिकारों की रक्षा, तथा ब्रिटिश भारत से सहयोग के सम्बन्ध में एक योजना तैयार करके कमेटी को दी है। कमेटी की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

जांच कमीशन--यदि दो या अधिक रियासतों में, किसी रियासत और प्रान्तीय सरकार में, या किसी रियासत और भारत सरकार में, कोई मत-भेद उपस्थित हो, एवं जब कोई रियासत भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से असंतुष्ट हो, तो वायसराय एक जांच कमीशन नियुक्त कर सकता है। अगर वायसराय इस कमीशन के आवेदन को स्वीकार न कर सके तो वह उस मामले को फ़ैसले के लिये भारत मंत्री के पास भेज देगा।

यदि कभी किसी रियासत के शासक को या उसके

उत्तराधिकारी को राजगद्दी से अथवा कुछ अधिकार से वंचित करना हो, तो भी जांच कमीशन नियत किया जा सकता है।

नरेन्द्र मंडल—सन् १९२१ ई० से बड़ी बड़ी रियासतों की एक नरेन्द्र मंडल ('चेम्बर आफ़ प्रिंसेज़') नामक समिति बनी हुई है। जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष रियासत से न हो, जिनका प्रभाव साधारणतः सब रियासतों पर पड़ता हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत, और देशी रियासतों से हो, उन पर इस संस्था की सम्मति मांगी जाती है। इसका सभापति वायसराय होता है, उसकी अनुपस्थिति में राजाओं में से ही कोई प्रधान का कार्य करता है। मंडल का अधिवेशन प्रायः साल में एक बार होता है, उस में वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही वादानुवाद होता है। मंडल के नियम, वायसराय नरेशों की सम्मति लेकर बनाता है। नरेन्द्र मंडल प्रति वर्ष एक छोटी सी स्थायी समिति बनाता है, जिससे वायसराय, या भारत सरकार का विदेश विभाग देशी रियासतों सम्बन्धी महत्व-पूर्ण विषयों में सम्मति लेता है।

नरेन्द्र मंडल का अधिवेशन होना या न होना सर्वथा वायसराय की इच्छा पर निभर है। मंडल की कार्रवाई सर्वथा गुप्त रखी जाती है, वायसराय का भाषण भी प्रकाशित नहीं किया जाता।

दसवां पाठ.

कर और सरकारी आय.

प्रत्येक देश में सरकार विविध प्रकार के कार्य करती है, देश को बाहर के आक्रमण से बचाने के लिये सेना का प्रबन्ध करती है, भीतरी शान्ति तथा अपराधों के दमन के लिये पुलिस रखती है, शिक्षा प्रचार के लिये स्कूल खोलती है, लोगों के झगड़ों का निपटारा कराने के लिये न्यायालयों की स्थापना करती है। कहीं कहीं लोगों के आने जाने तथा व्यापार करने के सुभीते के लिये सरकार रेल, तार, डाक आदि की सुव्यवस्था, तथा अन्य कार्य करती है। इन कामों के लिये प्रति वर्ष बहुत सा रुपया खर्च होता है।

भारतवर्ष के सरकारी खर्च का हाल जानने के लिये यह स्मरण रखना चाहिये कि सरकारी साल अप्रेल महीने की पहली तारीख से आरम्भ होता है और ३१ मार्च को समाप्त होता है। इस प्रकार १ अप्रेल १९२७ से ३१ मार्च १९२८ तक, एक साल हुआ, इसे सन् १९२७-२८ ई० कहते हैं। इस वर्ष का अनुमानित व्यय अगले पृष्ठ में दिया जाता है।

सरकारी व्यय (हज़ार रुपयों में)
१९२७-२८ का अनुमान।

संख्या	मद्द	केन्द्रीयसरकार	प्रांतीय सरकार
१	कर वसूल करने का ख़र्च	४,४९,०९	१०,५७,६८
२	रेल	२९,४९,०५	
३	आबपाशी	१८,७०	६,५५,५४
४	डाक, तार	८४,६१	
५	ऋण का सूद	१५,७४,३४	४,१२,७३
६	शासन		१०,६५,१७
७	न्याय, पुलिस और जेल		१८,२३,३१
८	शिक्षा		११,८९,७८
९	स्वास्थ्य और चिकित्सा	११,३१,५०	५,६०,७८
१०	कृषि और उद्योग		३,०१,४१
११	अन्य विभाग		८२,८०
१२	मुद्रा और टकसाल	७४,८५	......
१३	सिविल निर्माण कार्य	१,६६,९८	११,७२,३१
१४	सेना	५६,७२,४९	......
१५	विविध	४,०४,१५	६,७२,६८
	योग	१२५,२५,७६	८९,९४,०९

भारतवर्ष का सरकारी ख़र्च — केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विषयों के लिये ख़र्च करती है। कौन कौन विषय केन्द्रीय हैं और कौन प्रान्तीय हैं, यह भारत सरकार के और प्रान्तीय सरकार के पाठ में बताया जा चुका है। पिछले नक़शे में, संक्षिप्त करने के अभिप्राय से, सब प्रान्तों का एक एक मद्द का ख़र्च इकट्ठा ही जोड़कर दे दिया गया है। विदित हो कि छः छोटे प्रान्तों का (प्रान्तीय विषयों में किया गया) ख़र्च भी केन्द्रीय सरकार के हिसाब में शामिल है; कारण, इनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ही करती है। इस नक्शे से यह ज्ञात होजायगा कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार किस किस काम में कितना कितना रुपया ख़र्च करती हैं।

ख़र्चा की मद्दों का ब्यौरा—(१), कर वसूल करने के ख़र्च में आयात निर्यात कर, आय-कर, मालगुज़ारी, स्टाम्प, जंगल, रजिस्टरी, अफ़ीम, नमक और आबकारी आदि विभागों के ख़र्च के अतिरिक्त, अफ़ीम और नमक तैयार करने का ख़र्च भी, सम्मिलित है।

(२) और (३), इनमें क्रमशः रेलों और नहरों में लगायी हुई पूंजी का सूद है।

(४), यह मद स्पष्ट है।

(५) सेविंग बैंकों या प्रोविडेन्ट फंड की रक़मों पर सरकार सूद देती है, उसके अतिरिक्त उसे भारतवर्ष के सरकारी (पब्लिक) ऋण पर सूद देना होता है।

(६) से (१०) तक की मदें स्पष्ट हैं।

(११), इसमें विज्ञान सम्बन्धी, तथा बन्दरगाह आदि का ख़र्च सम्मिलित है।

(१२), यह मद्द स्पष्ट है।

(१३), सिविल निर्माण कार्य के व्यय में सरकारी मकान और सड़कें बनवाने तथा उनकी मरम्मत आदि करवाने का ख़र्च शामिल है।

(१४), सेना की मद्द में स्थल सेना, जल सेना, और वायु सेना का व्यय है।

(१५), विविध व्यय में अकाल-पीड़ितों की सहायता, पेंशन, स्टेशनरी और छपाई आदि का ख़र्च गिना जाता है।

अब तुम्हें यह भली भांति मालूम हो गया कि सरकार प्रति वर्ष बहुत सा रुपया ख़र्च करती है। अच्छा, यह रुपया कहां से आता है। यह रुपया लोगों पर कर या टेक्स (Tax) लगाकर वसूल किया जाता है। अच्छा, कर किस हिसाब से लगाये जाते हैं, उनके लगाने के सिद्धान्त क्या हैं?

कर सम्बन्धी सिद्धान्त—आडम स्मिथ तथा अन्य लेखकों ने, कर लगाने के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं, उनका आशय इस प्रकार है:—

१—कर, प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ के अनुसार लगाये जाने चाहियें, अर्थात् इस प्रकार लगाये जाने चाहियें कि उनका बोझ सब पर बराबर पड़े।

२—कर-दाता को कर की मात्रा तथा उसे देने का समय निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिये, जिससे उसको देने में सुविधा हो और कोई उससे अधिक न ले सके।

३—प्रत्येक कर ऐसे समय में और ऐसी रीति से वसूल किया जाना चाहिये कि कर दाता को बहुत सुभीता हो।

४—कर वे ही लगाये जाने चाहियें, जिनके वसूल करने में खर्च तथा परिश्रम कम पड़े।

५—निर्धन आदमियों से, जिन की आय केवल उनके निर्वाह के लिये ही काफ़ी है, या उससे भी कम है, कोई कर न लिया जाना चाहिये। उन पदार्थों पर यथा सम्भव कर न लगना चाहिये, जो दरिद्र लोगों के व्यवहार में आते हैं, जो जीवन रक्षक है। इसके विपरीत विलासिता या शौकीनी की चीज़ों पर भारी कर लगना भी उचित है।

६—कर निर्धारित करने में देश के आदमियों के प्रतिनिधियों का यथेष्ट भाग रहना चाहिये। यथा सम्भव उनकी इच्छा के विरुद्ध न तो कोई कर लगाया जाना चाहिये और न करों से होने वाली आय का कोई भाग व्यय किया जाना चाहिये।

यथा शक्ति इन सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्येक सभ्य सरकार को, कर निर्धारित करने चाहियें। अब हम यह बतलाते हैं कि कर कितने प्रकार के होते हैं और उनके लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं।

प्रत्यक्ष और परोक्ष कर—कर दो प्रकार के होते हैं; प्रत्यक्ष (Direct) और परोक्ष (Indirect)। प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसका भार उस आदमी (या संस्था) पर पड़ता है, जिस पर वह लगाया जाता है। यह कर देते समय कर-दाता यह भली भांति जान लेता है, कि वह कितना कर किस रूप में सरकार को देता है। उदाहरण के लिये आय-कर या इनकम टैक्स (Income tax) लोगों की आमदनी पर लगता है, यह प्रत्यक्ष कर है।

परोक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसको चुकाने वाला उस का भार औरों पर डाल देता है। उदाहरणवत, व्यापारी माल की आयात या निर्यात पर जो महसूल देते हैं, उसे वे माल बेचने के समय अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं; यह परोक्ष कर है।

प्रत्यक्ष कर लोगों को बहुत अखरते हैं, परन्तु परोक्ष करों की भरमार भी बहुत हानिकारक होती है।

करों का, व्यापार और उद्योग धंधों से सम्बन्ध—करों से सरकार को आमदनी तो होती ही है। इसके सिवाय कर लगाने का एक और उद्देश्य भी हो सकता है, वह है व्यापार का नियंत्रण तथा स्वदेशी उद्योग धन्धों की उन्नति। जो चीज़ विदेशों से सस्ते भाव में आती है, उस पर यदि भारी कर लग जाय तो वह यहां की बनी चीज़ों से मंहगी होसकती है, फिर वह बाजारों में बहुत कम बिकेगी और स्वदेशी वस्तु बनाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार, कल्पना करो कि कुछ व्यापारी यहां से बाहर अन्न या रुई आदि कच्चे पदार्थ भेजते हैं। उन्हें इन चीज़ों के वहां अच्छे दाम मिलते हैं और वे इनकी निर्यात से लाभ उठाना चाहते हैं। अब यदि सरकार इन वस्तुओं पर ऐसा भारी कर लगादे कि ये विदेशियों के लिये वहां की अपेक्षा सस्ती न रहें, और वे इन्हें मोल न लें, तो भारतीय व्यापारियों को इन वस्तुओं के निर्यात करने की आवश्यकता न रहे। निस्संदेह इससे यहां उन्हें लाभ होना रुक जायगा, परन्तु सर्व साधारण के लिये ये चीज़ सस्ती होजांयगी, उन्हें खाने पीने की कमी न रहेगी तथा कारखानों में माल तैयार करने के लिये कच्चे सामान लेने का बहुत सुभीता हो जायगा।

इस प्रकार करों का विषय बहुत महत्व का है।

भारतवर्ष में कर लगाने वाली संस्थायें—भारतवर्ष में जनता पर टैक्स लगाने का अधिकार निम्न लिखित तीन संस्थाओं को है:—

१—भारत सरकार को,

२—प्रान्तीय सरकारों को,

३—स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं अर्थात् म्युनिसिपैलिटी, ग्राम्य-बोर्ड और पंचायतों को,

उपर्युक्त तीनों प्रकार की संस्थाएँ यहां प्रति वर्ष लगभग सवा दो सौ करोड़ रुपये वसुल करती हैं। इनमें से प्रथम दो के विषय में, इस पाठ में विचार किया जायगा; तीसरी प्रकार की सस्थाओं का वर्णन आगे के पाठों में होगा।

सरकारी आय—आगे दिये हुए नक्शे से यह ज्ञात होजायगा कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों की आय की मुख्य मुख्य मदें कौन कौन सी हैं, तथा उन्हें किस किस कर से कितनी कितनी आय होती है।

आय (हज़ार रुपयों में)
१९२७-२८ का अनुमान।

संख्या	मद्द	केन्द्रीयसरकार	प्रांतीय सरकार
१	आयात निर्यात कर	४८,६४,३७	......
२	आय कर	१६,९५,०५	३०,९९
३	नमक	७,००,००	......
४	अफ़ीम	३,८३,०८	......
५	मालगुज़ारी	...	३६,३८,३०
६	आबकारी	...	१९,१३,८८
७	स्टाम्प	...	१४,३४,३४
८	रजिस्टरी	...	१,५६,७३
९	अन्य आय	२,२७,०६	५१,१२
१०	रेल	३४,९७,१३	......
११	आबपाशी	१०,३६	७,४२,७४
१२	जंगल	...	५,४५,६१
१३	डाक और तार	५८,०७	......
१४	सूद की आय	३,१६,१३	२,३१,६०
१५	सिविल शासन	८४,२१	३,५३,०७
१६	मुद्रा और टकसाल	२,४८,७०	......
१७	सिविल निर्माण कार्य	१७,४५	७१,४८
१८	सैनिक आय	१,८०,४९	......
१९	विविध	४६,९०	३,०८,८९
		१.९६,७६	
	योग	१२५,२५,७६	९४,७८,७५

अब हम आय की मदों के बारे में कुछ आवश्यक बातों पर विचार करते हैं :—

१–आयात निर्यात कर—सरकारी आय की यह सबसे बड़ी मद है। यह कर उन चीज़ों पर लगता है जो भारतवर्ष से विदेशों को जाती हैं, या विदेशों से यहां आती हैं। यह एक परोक्ष कर है। यह व्यापारियों से लिया जाता है। इससे सरकार को आमदनी तो होती ही है; इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस कर का यहां के व्यापार तथा उद्योग धन्धों पर भी बड़ा असर पड़ता है।

२–आय कर—यह प्रत्यक्ष कर है, अर्थात् जिससे यह लिया जाता है, वह इसका भार दूसरों पर नहीं डाल सकता। यह समझा गया है कि लगभग दो हज़ार रुपये सालाना की आमदनी एक परिवार के निर्वाह के लिये आवश्यक होती है, इसलिये इससे कम पर आय कर नहीं लिया जाता। दो हज़ार या इससे अधिक आमदनी वालों से यह कर इस प्रकार लिया जाता है :—

दो हज़ार से ४९९९ तक ५ पाई फ़ी रुपया।
पांच हज़ार से ९९९९ तक ६ पाई फ़ी रुपया।
दस हज़ार से १९,९९९ तक ९ पाई फ़ी रुपया।
बीस हज़ार से २९,९९९ तक एक आना फ़ी रुपया।
तीस हज़ार से ३९,९९९ तक १५ पाई फ़ी रुपया।
चालीस हज़ार या इससे ऊपर १८ पाई फ़ी रुपया।

प्रत्येक कम्पनी और रजिस्टरी की हुई कोठी या 'फ़र्म' पर, चाहे उसकी आमदनी कितनी ही हो, डेढ़ आना फ़ी रुपये के हिसाब से आय कर लगता है।

पचास हज़ार रुपये से अधिक आमदनी वाले से उपर्युक्त आय कर के साथ एक अतिरिक्त कर या 'सूपर टेक्स' (Super-tax) भी लिया जाता है। भारतवर्ष में आय कर और 'सूपर टेक्स' की मद में सरकार को अपेक्षाकृत बहुत कम आय होती है। इसका कारण यह है कि यहां अधिकतर आदमियों की आमदनी बहुत कम है, देश ग़रीब है।

४-नमक कर—नमक एक जीवन रक्षक पदार्थ है; इसके कर का भार ग़रीबों पर भी पड़ता है। नमक तैयार कराने में सरकार का खर्च बहुत थोड़ा होता है, किराये में भी कुछ खर्च पड़ता है। इस खर्च को छोड़कर नमक का मूल्य कर पर निर्भर है। यह कर इस समय १।) प्रति मन है। इस देश में जितना नमक तैयार होता है, उस पर सरकार का एकाधिकार है, उसकी आज्ञा बिना कोई नमक नहीं बना सकता।

४-अफ़ीम—भारत सरकार को इस मद की आय, इस पदार्थ को विदेशों के लिये नीलाम करने से होती है। भारतवर्ष के लिये भारत सरकार इसे एक निर्धारित दर से प्रान्तीय सरकारों के हाथ बेचदेती है। कुछ अफ़ीम तो

औषधियों के काम आती है, शेष का सेवन, लोग नशे के लिये करते हैं, जो बहुत हानिकर है।

५-मालगुजारी—यह प्रान्तीय सरकारों की आमदनी की सबसे बड़ी मद्द है। ब्रिटिश भारत में तीन तरह का बन्दोबस्त है :— (१) स्थायी प्रबन्ध; बंगाल में, बिहार के ५/६ भाग में एवं आसाम के आठवें और संयुक्त प्रान्त के दसवें भाग में। (२) ज़मीदारी या अस्थाय प्रबन्ध; संयुक्त प्रान्त में ३० वर्ष और पंजाब तथा मध्य प्रान्त में २० वर्ष के लिये मालगुज़ारी निश्चित कर दी जाती है। गांव वाले मिल कर इसे चुकाने के लिये उत्तदायी होते हैं। (३) रय्यतवारी प्रबंध; बम्बई, सिंध, मद्रास, आसाम व बर्मा में एवं बिहार के कुछ भाग में। इन स्थानों में सरकार सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध रखती है। बम्बई, मद्रास में ३० वर्ष में तथा अन्य प्रान्तों में जल्दी जल्दी बन्दोबस्त होता है। नये बन्दोबस्त में प्रायः हर जगह सरकारी मालगुज़ारी बढ़ जाती है।

६-आबकारी—इस मद्द में शराब, गांजा, अफीम आदि नशे के पदार्थों पर लगाये हुए सरकारी टेक्सों की आय सम्मिलित है। इन पदार्थों की बिक्री तथा पैदावार पर कड़ा नियन्त्रण रहता है। इनका प्रचार बढ़ना, देश के लिये हानिकर है।

(७) और (८) स्टाम्प और रजिस्टरी की मद्दें स्पष्ट हैं।

(९), अन्य आय में, केन्द्रीय सरकार तो देशी रियासतों से जो नज़राना लेती है, और प्रान्तिक सरकार सिनेमा आदि खेल तमाशों का जो कर लेती है वह रकम सम्मिलित है।

(१०) से (१३) तक की मदें स्पष्ट हैं।

(१४), सूद की मद्द में सरकार जो रुपया किसानों को, तथा म्युनिसिपैलिटियों आदि संस्थाओं को उधार देती है, उसके सूद की आय है।

(१५), सिविल शासन की आय में न्याय, जेल, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कृषि और उद्योग धन्धों आदि विभागों से होने वाली आय शामिल है।

(१६) मुद्रा, टकसाल और विनिमय की मद्द में भारत के लिये पैसा इकन्नी आदि सिक्के, एवं कुछ अन्य देशों के सिक्के ढालने का लाभ आदि सम्मिलित है।

(१७) सिविल निर्माण कार्य की आय में सरकारी मकानों का किराया, तथा उनकी बिक्री आदि से होने वाली प्राप्ति सम्मिलित है।

(१८) सैनिक आय में सैनिक स्टोर, कपड़े, दूध, मक्खन तथा पशुओं की बिक्री से होने वाली आय गिनी जाती है।

(१९) विविध मद्द में पेन्शन सम्बन्धी आय के अतिरिक्त, सरकारी स्टेशनरी और रिपोर्टों आदि की बिक्री की आय भी सम्मिलित है।



ग्यारहवां पाठ.

स्थानीय स्वराज्य.

(१) म्युनिसिपैलिटियां.

इस पुस्तक के पिछले पाठों में तुम भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों का तथा ज़िले के शासन का हाल पढ़ चुके हो। तुम यह जानते ही हो कि गवर्नर जनरल, गवर्नर और उनकी प्रबन्ध कारिणी कौंसिलों के सदस्य, ज़िला मैजिस्ट्रेट आदि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उन्हें बर्ख़ास्त करने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को नहीं है। अब हम उन संस्थाओं का संगठन आदि बतलायेंगे, जिनमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही काम करते हैं।

स्थानीय स्वराज्य—ब्रिटिश भारत के लोगों को अपने अपने नगरों या देहातों में प्रारम्भिक शिक्षा तथा सफ़ाई आदि का प्रबन्ध करने के लिये कुछ अधिकार मिले हुए हैं; ये कार्य जिन संस्थाओं द्वारा होते हैं, उनमें अधिकतर आदमी नगर या गांव वालों द्वारा चुने हुए होते हैं। इन संस्थाओं को

स्थानीय स्वराज्य की संस्थायें कहते हैं। इनके मुख्य भेद ये हैं :—

१—म्युनिसिपैलिटियां।

२—ज़िला बोर्ड (या ज़िला-कौंसिल)।

३—पंचायतें।

इन में से पहली दो के नाम भारतवासियों के लिये कुछ नये हैं, तीसरी तो हमारी चिर-परिचित पुरानी संस्थायें हैं। अस्तु; पहले म्युनिसिपैलिटियों का वर्णन करते हैं।

म्यूनिसिपैलिटियां—म्यूनिसिपैलिटियों का कार्यक्षेत्र नगर या शहर है। इनके दो उद्देश्य हैं, नगर का सुधार होना, और जन साधारण को सार्वजनिक कार्य करने की व्यवहारिक शिक्षा मिलना।

ब्रिटिश भारत में सब मिलाकर साढ़े सात सौ म्युनिसिपैलिटियां हैं, इनमें से लगभग ७० में तो ऐसी हैं, जिनमें से प्रत्येक में पचास हज़ार या इससे अधिक आदमी रहते हैं*।

* बम्बई, कलकत्ते, मद्रास और रंगून के बड़े बड़े शहरों की म्युनिसिपैलिटियां 'कौरपोरेशन' (Corporations) कहलाती हैं। इनकी आय व्यय तथा अधिकार अधिक होते हैं। इनके सभापति 'मेयर' कहे जाते हैं।

दस हज़ार से कम आदमियों के क़स्बों में 'नोटीफ़ाइड एरिय' (Notified Areas) होते हैं। इनकी आय व्यय कम होती है और अधिकांश सदस्य नामज़द रहते हैं।

कुल म्युनिसिपैलिटियों की सीमा में १८० लाख अर्थात ब्रिटिश भारत की जन संख्या के लगभग सात फ़ी सदी आदमी रहते हैं।

आरम्भ में म्युनिसिपैलिटियां कलकत्ते, बम्बई आदि बड़े बड़े शहरों में स्थापित की गयी थीं। उस समय इनके चलाने में सरकार का बहुत हाथ था। लोगों ने इनके काम में कुछ उत्साह से भाग नहीं लिया। इनकी विशेष उन्नति और प्रचार सन् १८८४ ई० से हुआ, जब लार्ड रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाये।

म्युनिसिपैलिटियों का संगठन—प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी की सीमा निश्चित की हुई है, उस सीमा के भीतर ही वह अपना काम करती है। अधिकांश ब्रिटिश भारत में प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के कुल सदस्यों में से आधे से तीन चौथायी तक जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, और, शेष सरकार द्वारा नामज़द। नामज़द किये हुए सदस्यों में सिविल सर्जन, एग्ज़ीक्यूटिव एंजिनियर आदि कुछ सरकारी कर्मचारी तथा कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं।

म्युनिसिपलिटी के सदस्य अपनी पहली बैठक में सभापति (President) या चेयरमेन (Chairman) का चुनाव करते हैं। इस पद के लिये प्रायः ग़ैर-सरकारी व्यक्ति चुना जाता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह म्युनिसिपैलिटी के

सदस्यों में से ही हो। उपसभापति, सदस्यों में से ही चुना जाता है। इस पद के लिये कभी कभी दो दो व्यक्ति भी चुने जाते हैं, उन्हें 'सीनियर वाइस चेयरमेन' (Senior Vice-chairman) और 'जूनियर वाइस चेयरमेन' (Junior Vice-chairman) कहते हैं।

म्युनिसिपैलिटियों के काम में सहायता देने के लिये कई छोटी छोटी कमेटियां या समितियां (Sub-Committees) भी रहती हैं, जैसे शिक्षा समिति, स्वास्थ समिति आदि। प्रत्येक समिति में एक एक सभापति तथा चार छः अन्य सदस्य होते हैं। इन समितियों में एक दो सज्जन ऐसे मिलाये हुए (Co-opted) भी होते हैं जो म्युनिसिपैलिटी के सदस्य नहीं होते, परन्तु जिन्हें समिति से सम्बन्ध रखने वाले विषय का ज्ञान या अनुभव होता है। इन मिलाये हुए सज्जनों को अपनी अपनी समिति में अन्य सदस्यों की तरह मत देने आदि का अधिकार होता है, परन्तु ये म्युनिसिपल कमेटी की मीटिंग (Meeting) में भाग नहीं ले सकते।

निर्वाचन—म्युनिसिपैलिटी के सभापति, उपसभापति तथा सदस्यों का कार्य काल (Term of office) तीन वर्ष का होता है; अर्थात् तीन साल के बाद फिर नया निर्वाचन (चुनाव) या इलेक्शन (Election) होता है। उसमें

पुराने सदस्य तथा सभापति, उपसभापति भी चुने जा सकते हैं।

म्युनिसिपैलिटियों के लिये निर्वाचक होने के वास्ते किसी व्यक्ति की प्रायः वैसी ही बातें अयोग्यतायें मानी जाती हैं, जैसी प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये निर्वाचक होने के वास्ते अयोग्यतायें बतलायी गयी हैं। हां, अठारह वर्ष (या इस से अधिक) उम्र का व्यक्ति भी म्युनिसिपैलिटी के लिये निर्वाचक हो सकता है, अगर वह निर्धारित गृह-कर ('हाउस टेक्स') आदि म्युनिसिपल कर या 'रेट' देता हो * या उसमें प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के निर्वाचकों की सी योग्यतायें हों, (देखो पृष्ठ २५-२८)।

निर्वाचकों को चाहिये कि खूब सोच समझ कर, ऐसे उम्मेदवार के लिये ही मत ('वोट') दें जो सदस्य बनने के सर्वथा योग्य हो, और जिससे नगर का विशेष हित होने की आशा हो। अपने किसी स्वार्थ वश, या किसी प्रकार के लिहाज़ के कारण, अयोग्य आदमी को कभी 'मत' नहीं देना चाहिये।

सदस्य—सदस्यों के चुनाव के लिये प्रत्येक नगर

* इस कर में चुंगी या महसूल की रक़म शामिल नहीं होती। जो लोग यह 'रेट' देते हैं, वे 'रेट पेयर' (Rate-payer) या कर-दाता कहलाते हैं।

कुछ मोहल्लों या वार्डों (Wards) में विभक्त होता है। किस 'वार्ड' से कितने सदस्य चुने जांयगे, यह निश्चित रहता है। प्रत्येक निर्वाचक जिसकी आयु २१ साल से कम न हो, म्युनिसिपैलिटी का सदस्य बनने के लिये उम्मेदवार हो सकता है। जिनके पक्ष में अधिक मत या 'वोट' (Vote) आते हैं, वे सदस्य चुने जाते हैं। [सदस्य के लिये अंगरेज़ी शब्द 'मेम्बर' है, (Member) है, यह भी बोल चाल में आता है।] सदस्य 'म्युनिसिपल कमिश्नर' कहलाते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर होकर आदमी अपने नगर के सुधार तथा उन्नति का बहुत काम कर सकते हैं, उन्हें जनता की सेवा का बहुत अवसर मिलता है। जो सज्जन शिक्षित हों और इस कार्य के लिये यथेष्ट समय देकर जनता की सेवा करना चाहें, उन्हें ही यह पद प्राप्त करना चाहिये। केवल प्रतिष्ठा के लिये 'म्युनिसिपल कमिश्नर' बनना, और पीछे अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व ठीक तरह न निभाना अनुचित है।

म्युनिसिपैलिटियों के कार्य्य—साधारणतः म्युनिसिपैलिटियों के मुख्य कार्य ये हैं:—

(१) सर्व साधारण की सुविधा की व्यवस्था करना सड़क बनवाना, उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काव कराना और वृक्ष लगवाना, डाक बंगला या सराय आदि

सार्वजनिक मकान बनवाना, कहीं आग लग जाय तो उसे बुझवाना, अकाल, जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना।

(२) स्वास्थ्य रक्षा, अस्पताल या औषधालय खोलना चेचक और प्लेग के टीके लगाने तथा मैले पानी के बहने का प्रबन्ध करना, और छूत की बीमारियां रोकने के लिये उचित उपाय काम में लाना। पीने के लिये स्वच्छ जल (नल आदि) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलाई गयी है, इसका निरीक्षण करना।

(३) शिक्षा, विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा प्रचार के लिये, पाठशालाओं की समुचित व्यवस्था करना, मेले और नुमायश कराना।

(४) बिजली की रोशनी, ट्रामवे तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता देना। *

* बड़े बड़े शहरों की उन्नति या सुधार के लिये कभी कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे संकुचित सड़कों को चौड़ी करना, घनी बस्तियों को हवादार बनाना, ग़रीबों और मज़दूरों के लिये मकानों की व्यवस्था करना, आदि। इन कामों को म्युनिसिपैलिटियां नहीं कर सकतीं, उन्हें तो अपना रोज़मर्रा का काम ही बहुत है। अतः इनके वास्ते 'इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट' (Improvement trusts) बनाये जाते हैं। ये कलकत्ता, बम्बई, रंगून, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर आदि में हैं।

आमदनी—ब्रिटिश भारत की सब म्युनिसिपैलिटियों की वार्षिक आय लगभग बारह करोड़ रुपये होती है। आय के साधन भिन्न भिन्न प्रान्तों में पृथक् पृथक् हैं। प्रायः मुख्य साधन ये हैं:—

(१) चुंगी; यह इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आने वाले माल तथा जानवरों पर लगती है। संयुक्त प्रान्त में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में म्युनिसिपैलिटियों का नाम ही 'चुंगी' पड़ गया है। (२) मकान और ज़मीन पर कर। (३) व्यापार और पेशों पर कर। (४) सड़कों और नदियों के पुलों पर कर। (५) सवारियों, गाड़ी, इक्का, बग्गी, साइकल, मोटर और नाव पर कर। (६) पानी, रोशनी, हाट बाज़ार, क़साइख़ाने, पायख़ाने आदि पर कर। (७) हैसियत, जायदाद और जानवरों पर कर। (८) यात्रियों पर कर। यह कर एक निर्धारित दूरी से अधिक के फ़ासले से आने वालों पर लगता है, और प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वसूल कर लिया जाता है।। (९) म्युनिसिपल स्कूलों की फ़ीस। (१०) सरकारी सहायता या ऋण।

म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी— म्युनिसिपैलिटी के सभापति और उपसभापति के विषय में पहिले उल्लेख होचुका

है। ये अधिकारी अवैतनिक होते हैं, अर्थात् इन्हें कुछ वेतन नहीं मिलता। इनके अतिरिक्त प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी में कुछ वेतन पाने वाले कर्मचारी होते हैं। इनमें सेक्रेटरी का पद बहुत महत्व का होता है। यह म्युनिसिपल आफ़िस का प्रधान कर्मचारी होता है। इसकी नियुक्ति तो म्युनिसिपल कमेटी द्वारा ही होती है, परन्तु उसमें शर्त यह रहती है कि चुने हुए आदमी को सरकार पसन्द (Approve) करले। छोटी म्युनिसिपैलिटियों के लिये सेक्रटरी की मंजूरी कमिश्नर देता है और बड़ी के लिये प्रान्तीय सरकार। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, स्थानीय स्वराज्य एक हस्तान्तरित विषय है, अतः बड़ी म्युनिसिपैलिटियों के लिये सेक्रेटरी की मंजूरी मन्त्री देता है।

सेक्रेटरी के अतिरिक्त सफाई के काम की देख भाल के लिये हैल्थ-आफिसर (Health-officer), सेनिटरी इन्स्पेक्टर (Sanitary Inspector) और मेहतरों के काम की निगरानी के लिये जमादार रहते हैं। नल या पानी की व्यवस्था के लिये तथा सड़क, पुल, नाली आदि की मरम्मत के लिये एंजिनियर और ओवरसियर होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी कर्मचारी होते हैं।

सरकारी नियंत्रण—प्रायः म्युनिसिपैलिटियों को धन की बड़ी ज़रूरत रहती है। जिन कामों के लिये वे सरकार से

सहायता लेती हैं, उनके सम्बन्ध में उन्हें सरकारी शर्तों का पालन करना होता है। कुछ म्युनिसिपैलटियों को अपना वार्षिक बजट सरकार से स्वीकार कराना होता है तथा कुछ म्युनिसिपैलिटियों के लिये यह आवश्यक है कि यदि वे कोई नया कर लगावें तो पहिले उसकी स्वीकृति ले लें। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपैलिटियों के कामों की देख रेख सरकार करती है, यदि किसी का काम ठीक न हो तो सरकार उसे तोड़ भी सकती है। ऐसी दशा में नया चुनाव होगा। ऐसा अवसर कम आता है। तथापि इससे यह स्पष्ट है कि म्युनिसिपैलिटियों पर सरकारी नियन्त्रण रहता है।

सरकारी नियंत्रण रहते हुए भी, म्युनिसिपैलिटियों के सदस्य तथा अन्य कर्मचारी यदि जी लगा कर, सेवा भाव से काम करें, तो वे अपने अपने नगर की बहुत भलाई कर सकते हैं। हमारी कुछ म्युनिसिपैलिटियां वास्तव मे बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं।

बारहवां पाठ.

स्थानीय स्वराज्य.

(२) ज़िला-बोर्ड (या ज़िला कौंसिल) आदि.

पाठको ! पिछले पाठ से तुम्हें यह ज्ञात होगया कि बड़े बड़े शहरों या क़स्बों में स्थानीय स्वराज्य किस प्रकार का है ।। अब इस पाठ में इस बात का विचार किया जायगा कि देहातों में उस प्रकार का, कार्य किस तरह होता है; प्रारम्भिक शिक्षा,तथा स्वास्थ आदि,का प्रबन्ध करने वाली संस्थाओं अर्थात् ग्राम बोर्डों का संगठन कैसा है, तथा उनके क्या नियम आदि हैं।

बोर्डों के भेद—भारतवर्ष में ग्राम बोर्डों के निम्न लिखित तीन भेद हैं; किसी किसी प्रान्त में तो इनमें से तीनों ही प्रकार के बोर्ड हैं और कहीं कहीं केवल दो या एक ही तरह के हैं:—

१—लोकल बोर्ड (Local Boord); यह एक गांव में या कुछ ग्रामों के समूह में होता है ।

२—ताल्लुका या सब-डिविज़नल बोर्ड; यह एक ताल्लुके या सब-डिविज़न में होता है । यह लोकल बोर्डों के काम की देख भाल करता है !

३—ज़िला-बोर्ड; इसे ज़िला कौंसिल भी कहते हैं, यह एक ज़िले में होता है, और ज़िले भर के लोकल बोर्डों (या ताल्लुक़ बोर्डों) का निरीक्षण करता है।

बोर्डों का संगठन, और उनके सदस्य—इन बोर्डों का संगठन कुछ कुछ उसी प्रकार का होता है, जैसा म्युनिसिपैलिटियों का। यद्यपि अधिकतर बोर्डों में चुने हुए सदस्य ही अधिक होते हैं, तथापि इन संस्थाओं में प्रायः म्युनिसिपैलटियों की अपेक्षा नामज़द सदस्य ज़्यादह होते हैं।

किस ज़िला-बोर्ड में कितने सदस्य हों, तथा उसका सभापति चुना हुआ रहे, या नियुक्त किया जाये, यह प्रत्येक प्रान्त के ज़िला-बोर्ड क़ानून से निश्चित किया हुआ है। संयुक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में सभापति चुना हुआ एवं ग़ैर-सरकारी होता है।

निर्वाचन—ज़िला-बोर्डों के सदस्यों (तथा सभापति) का चुनाव तीन वर्ष में होता है। सदस्यों के चुनाव के लिये प्रत्येक ज़िला कुछ हल्क़ों या 'सर्कलों' (Circles) में बटा हुआ होता है, और यह निश्चित रहता है कि अमुक हल्के से इतने सदस्य चुने जाने चाहियें। प्रत्येक निर्वाचक, सदस्य बनने के लिये, उम्मेदवार हो सकता है।

ज़िला-बोर्ड के लिये निर्वाचक होने के वास्ते किसी व्यक्ति

की वही बातें अयोग्यतायें मानी जाती हैं, जो प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये निर्वाचक होने के वास्ते वाधक समझी जाती हैं। उक्त अयोग्यतायें न होने की दशा में, प्रत्येक व्यक्ति ज़िला-बोर्ड के लिये निर्वाचक होसकता है, अगर उसमें प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के निर्वाचकों की सी योग्यतायें हों (देखो पृष्ठ २५-२८) या उसने देशी भाषा की निर्धारित परीक्षा पास करली हो।

जैसा कि हमने पिछले पाठ में, म्युनिसिपैलिटियों के सम्बन्ध में कहा है, ज़िला-बोर्डों के सदस्यों का चुनाव करने वाले निर्वाचकों को भी अपना मत (वोट) देते समय अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझ लेना चाहिये; तभी इन संस्थाओं से यथेष्ट लाभ हो सकता है।

बोर्डों के कार्य—बोर्डों के, अपने ग्रास्य क्षेत्र में वैसे सब कार्य हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटियों के, नगरों में होते हैं। उनके अतिरिक्त, इन्हें कृषि और पशुओं की उन्नति के लिये भी विविध कार्य करने चाहियें। इस प्रकार उनके मुख्य कार्य ये हैं:—

१—सड़कें बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना। उन पर पेड़ लगवाना तथा उन पेड़ों की रक्षा करना। २—प्रारम्भिक शिक्षा का प्रचार करना। (देहातों में प्राइमरी या

मिडल स्कूल ज़िला-बोर्डों के ही होते हैं)। ३—चिकित्सा और स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना, चेचक या प्लेग आदि का टीका लगवाना, पशुओं के इलाज के लिये पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करना। ४—बाज़ार, मेला, नुमायश या कृषि प्रदर्शनी आदि का प्रबन्ध करना। ५—पीने के पानी के प्रबन्ध के लिये तालाब या कुए खुदवाना या उनकी मरम्मत करवाना। ५—कांजी हौज़ (Kine House) अर्थात् ऐसे स्थान की व्यवस्था करना, जहां खेती आदि की हानि करने वाले जानवर रोक कर रखे जाते हैं। [जिस आदमी का पशु नुक़सान करते हों, वह उन्हें इस स्थान में भेज देता है, जब उनका मालिक उन्हें लेने के लिये आता है, तो उसे निर्द्धारित जुर्माना देना पड़ता है]। ७—घाट, नाव, पुल आदि का प्रबन्ध करना। ८—सार्वजनिक सुभीते के अन्य आवश्यक कार्य करना। इस प्रकार, बोर्डों का कर्तव्य कितना महान है, यह स्पष्ट है।

बोर्डों की आय—बोर्डों के कार्य हम बता चुके। ब्रिटिश भारत के बोर्डों के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है, इक्कीस करोड़ से भी अधिक। उपर्युक्त कार्यों तथा इस जन संख्या को देखते हुए उनकी कुल वार्षिक आय, जो लगभग ग्यारह करोड़ रुपये हैं, बहुत कम है। आय अधिकतर उस महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है और जो

सरकारी वार्षिक लगान या मालगुज़ारी के साथ ही प्रायः एक आना या अधिक फ़ी रुपये के हिसाब से वसूल करके इन बोर्डों को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिये सरकार उन्हें कुछ रक़म, कुछ शर्तों से प्रदान कर देती है। आय के अन्य साधन तालाब घाट, सड़क पर के महसूल, पशु चिकित्सा और स्कूलों की फ़ीस, कांजी हौज़ की आमदनी, मेले नुमायशों पर कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर हैं। प्रायः लोकल बोर्डों या ताल्लुक़-बोर्डों का कोई स्वतंत्र आय श्रोत नहीं होता, उन्हें समय समय पर ज़िला-बोर्डों से ही कुछ रुपया मिल जाता है, वे उस रुपये को ज़िला-बोर्ड की इच्छा या सम्मति के विरुद्ध खर्च नहीं कर सकते।

सरकारी नियंत्रण——कलेक्टर (या डिप्टी कमिश्नर) अथवा कमिश्नर अफ़सर इनके काम की देख भाल करते हैं। कलेक्टर को तो इनके सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार हैं, जब वह यह समझे कि ज़िला-बोर्ड का कोई काम, या कोई प्रस्ताव आदि ऐसा है जिससे सार्वजनिक हित की हानि होगी तो वह उस काम को बन्द कर सकता है, तथा उस प्रस्ताव को अमल में लाये जाने से रोक सकता है।

यदि प्रान्तीय सरकार यह समझे कि कोई बोर्ड अपना काम ठीक तरह नहीं करता और अपने अधिकारों का

दुरुपयोग करता है, तो वह उसे तोड़ सकती है। इस दशा में उसका नया चुनाव होगा। प्रान्तीय सरकार चाहे तो उसका काम करने के लिये स्वयं कुछ आदमी नियुक्त करके उन्हें कुछ समय के लिये बोर्ड के सब अधिकार दे सकती है।

इस प्रकार ज़िला-बोर्डों पर, म्युनिसिपैलटियों की अपेक्षा कलेक्टर या कमिश्नर तथा प्रान्तीय सरकारों का नियंत्रण बहुत अधिक है। तथापि, यदि सदस्य तथा सभापति यथेष्ट प्रयत्न करें तो वे इन संस्थाओं द्वारा लोक सेवा या सार्वजनिक हित का बहुत कार्य कर सकते हैं।

तेरहवां पाठ.

स्थानीय स्वराज्य

(३) पंचायतें.

स्थानीय स्वराज्य सम्बन्धी दो प्रकार की संस्थाओं अर्थात् म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों का वर्णन पिछले पाठों में हो चुका है। इस पाठ में हम पंचायतों की बातें बतायेंगे।

पंचायतें यहां चिरकाल से चली आरही हैं। बहुत प्राचीन काल में भी भारतवर्ष के प्रत्येक गांव (या नगर) में एक बहुत प्रभावशाली पंचायत रहती थी, जो स्थानीय रक्षा कार्य के लिए अपनी पुलिस रखती, स्वयं भूमि कर वसूल करके राजकोष में भेजती, और छोटे मोटे दीवानी और फ़ौजदारी के झगड़ों का निपटारा करती थी। पंचायतों का यहां इतना विश्वास और आदर था कि अब तक भी 'पंच परमेश्वर' की कहावत चली आती है। पंचायतें यहां हिन्दुओं के ज़माने से थीं, मुसलमानी अमलदारी में भी रहीं। परन्तु अंगरेज़ों के शासन काल में इन संस्थाओं की आय तथा इनके अधिकार प्रान्तीय सरकारों ने ले लिये, पुलिस, तथा दीवानी और फ़ौजदारी की अदालतें स्थापित करदी गयीं। इससे पंचायतों का क्रमशः ह्रास होगया। यद्यपि अब

भी कुछ जातियों में सामाजिक विषयों का निपटारा करने के लिये जातीय पंचायतें हैं, तथा पंचायती मंदिर या धर्म-शाला आदि बनती हैं, परन्तु ये प्राचीन परिपाटी के स्मृति-चिन्ह मात्र हैं।

अब कुछ वर्ष से पुनः नवीन रूप से पंचायतें स्थापित करने का उद्योग होरहा है। इनके अधिकार पुरानी पंचायतों की अपेक्षा बहुत कम हैं। इनके सदस्य ग्राम वालों के प्रतिनिधी भी नहीं होते। ये एक प्रकार की सरकारी संस्थायें सी ही हैं। इनका कार्य सरकारी कर्मचारियों की सहायता से, और उनके ही निरीक्षण और नियंत्रण में होता है।

भिन्न भिन्न प्रान्तों की पंचायतें— अब भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों में पंचायत-क़ानून (Panchayat Act) बन गया है; प्रत्येक प्रान्त के पंचायत क़ानून के अनुसार उस प्रान्त की पंचायतों के अधिकार और संगठन सम्बन्धी नियम निर्धारित होगये हैं। और, प्रान्त के किसी गांव में पंचायत स्थापित हो सकती है। बहुत से स्थानों में पंचायतें खुल भी गयी हैं। प्रत्येक प्रान्त के नियमों में कुछ कुछ भिन्नता हैं।

पंचायतों की स्थापना—जिस ज़िले के किसी हिस्से में पंचायत-क़ानून जारी हो, उसके किसी ग्राम या ग्राम-समूह में कलेक्टर (या डिप्टी कमिश्नर) पंचायतें स्थापित कर

सकता है। यदि किसी ग्राम में पंचायत न हो और उसके निवासी पंचायत की स्थापना चाहें तो उसके कुछ खास खास निवासियों को कलेक्टर के यहां दरख्वास्त देनी चाहिये। कलेक्टर इस बात की जांच करेगा कि वहां पंचों का कार्य करने योग्य काफ़ी आदमी मिल सकते हैं या नहीं। यदि इस जांच का फल अनुकूल हो, तो कलेक्टर पंचों को नामज़द कर देता है, और उन पंचों में से एक को सरपंच नियत कर देता है, [पंच, सरपंच बनाने तथा उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार उसी को होता है]। जब यह सब कार्रवाई हो चुकती है तो पंचायत सम्बन्धी आवश्यक फार्म, रजिस्टर आदि सामान पंचायत को भेज दिया जाता है, और यह निश्चय होजाता है कि सप्ताह में किस किस दिन और किस स्थान पर, तथा किस समय पंचायत अपना काम किया करेगी।

संयुक्त प्रान्त का पंचायत-क़ानून; पंच और सरपंच—संयुक्त प्रान्त का ग्राम-पंचायत-कानून १९२० में बना था। उसके अनुसार इस प्रान्त में पञ्चों की संख्या ५ से कम, और ७ से अधिक नहीं होती। ग्राम वालों की इच्छा मालूम करके कलेक्टर पंच नियत करता है। दो पंच ऐसे होने चाहियें जो पढ़ लिख सकें। ऐसा व्यक्ति पंच नियुक्त होने के योग्य नहीं होता, (१) स्त्रियां, (२) जो ऐसा

दिवालिया हो जो बरी न किया गया हो, (३) जिसकी उम्र २५ वर्ष से कम हो, (४) जो सरकारी अथवा ग्राम सम्बन्धी नौकरी करता हो, (५) जिसे गत ५ वर्ष में किसी अपराध के लिए कैद की सज़ा हुई हो, और (६) जो पंचायत के क्षेत्र में न रहता हो। पंच तीन वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, परन्तु कोई व्यक्ति दूसरी बार नियुक्त हो सकता है। जब तक पंचों की संख्या तीन से कम न होजाय, पंचायत का काम ग़ैर-क़ानूनी नहीं समझा जाता।

सरपंच को लिखना पढ़ना अवश्य आना चाहिये। वह पंचायत का सभापति होने के अतिरिक्त, ग्राम-कोष और उसका हिसाब तथा अन्य आवश्यक काग़ज़ और रजिस्टर रखता है, सम्मन की तामील करवाता है, और समय समय पर कलेक्टर को पंचायत सम्बन्धी रिपोर्ट देता रहता है। पंचायत के काग़ज़ और रजिस्टर रखने के लिये, कलेक्टर की अनुमति से, एक क्लर्क नियत किया जा सकता है।

पंचायतों के अधिकार और कार्य— पंचायतों को दीवानी और फ़ौजदारी दोनों तरह के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। सफ़ाई, और आवारा फिर कर नुक़सान पहुंचाने वाले मवेशियों के सम्बन्ध में भी उन्हें कुछ अधिकार दिये गये हैं।

पंचायतों को समय समय पर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं तथा सरकार से कुछ रक़म मिलती हैं। इसके अतिरिक्त;

वे निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने क्षेत्र के आदमियों पर कुछ कर लगा सकती हैं, तथा अपराधियों पर कुछ जुर्माना भी कर सकती हैं, (उन्हें क़ैद करने का अधिकार नहीं होता)। यदि उनका कोई कर या जुर्माना वसूल न हो तो ज़िला-मेजिस्ट्रेट उसे वसूल करा देता है। पंचायतों को अपनी आय कलेक्टर की अनुमति से ही, शिक्षा, स्वास्थ, सफाई, या कच्ची सड़कों आदि के कार्य में ख़र्च करनी होती है।

मध्य प्रान्त की पंचायतें—अन्य प्रान्तों का पंचायत-क़ानून संयुक्त प्रान्त के पंचायत-क़ानून से मिलता जुलता ही है; थोड़ा बहुत भेद है। उदाहरणवत् मध्य प्रान्त में पंचों की की संख्या ६ से कम और १५ से अधिक नहीं होनी चाहिये। २१ वर्ष या इससे अधिक आयु के मनुष्य पंच चुने जा सकते हैं। फ़ौजदारी मुक़द्दमों का निपटारा करने के लिये डिप्टी कमिश्नर सब या कुछ पंचों की एक अदालत बना देता है, जिसे 'विलेज-बैंच' (Village Bench) कहते हैं। विलेज-बैंच को कुछ फौजदारी मुकदमे करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार किसी ग्राम में पंचायत स्थापित हो चुकने पर डिप्टी कमिश्नर उस पंचायत के सब या कुछ पञ्चों को मिलाकर एक विलेज-कोर्ट (Village Court) स्थापित कर सकता है, और उसे कुछ दीवानी मुक़द्दमे करने का अधिकार दे सकता है।

मुक़दमों के सम्बन्ध में विलेज-कोर्ट और विलेज-बैंच पर डिप्टी कमिश्नर का नियन्त्रण रहता है। वह कमिश्नर की मंजूरी लेकर, किसी विलेज-बैंच या विलेज-कोर्ट को, जिसे वह अयोग्य समझे, तोड़ सकता है। वह इन संस्थाओं की किसी कार्रवाई या हुक्म को रद्द कर सकता है। दूसरे कार्यों के सम्बन्ध में पंचायत पर 'ज़िला-कौंसिल' का नियंत्रण रहता है। 'ज़िला-कौंसिल' दो तिहाई मेम्बरों के बहुमत से पंचायत के किसी भी प्रस्ताव या आज्ञा को रद्द कर सकती है या उसमें फेर फार कर सकती है। वह अपना यह अधिकार लोकल बोर्ड को भी दे सकती है।

उपसंहार—पंचायतों से सफ़ाई तथा न्याय सम्बन्धी बहुत काम हो सकता है, लोगों का मुक़दमेबाज़ी में जो अपरिमित धन और शक्ति नष्ट होती है, वह बहुत कुछ बच सकती है। हां, अभी इन पर अधिकारियों का नियंत्रण बहुत है। ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा नामज़द सदस्यों की संस्थायें हैं, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की नहीं। इनकी आय के साधन भी बहुत कम हैं।

चौदहवां पाठ.

नागरिकों के कर्तव्य

पाठको ! इस पुस्तक में अब तक भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी विविध बातों का वर्णन किया गया है। अब इस पाठ में हम तुम्हें यह बतलायेंगे कि नागरिकों के क्या कर्तव्य होते हैं। पहले यह जानलें कि नागरिक कौन होता है।

राजनैतिक भाषा में, 'नागरिक' का अभिप्राय केवल नगर में रहने वाले से ही नहीं है, गांवों या क़स्बों के रहने वाले प्रजा-जन भी नागरिक ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी देश में वंशागत क्रम से रहता आया हो, और राज्य के नियमों का पालन करता हो, उस देश का नागरिक होता है।

नागरिकों के मुख्य कर्तव्य ये हैं:—

(१) शासन कार्य में सहायता देना—जो आदमी कोई सरकारी कार्य करते हों, किसी क़ानून बनाने वाली सभा, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम-बोर्ड या पंचायत आदि के सदस्य हो, या जिन्हें इन संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव में मताधिकार

हो, उन्हें अपना कर्तव्य भली भांति पालन करना चाहिये। अन्य लोगों को भी अवसर मिलने पर शासन कार्य में सहायता करनी चाहिये। उदाहरणार्थ यदि किसी के ग्राम या नगर में अपराधी की खोज हो रही हो, या किसी अपराधी को दंड दिये जाने के लिये कोई मुक़दमा चल रहा हो, तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार पुलिस या न्यायालय को सहायता पहुंचानी चाहिये।

(२) क़ानूनों का पालन करना—देश की सुख शान्ति के लिये समय समय पर विविध क़ानून बनाये जाते हैं। उनका पालन न करने वालों को दंड दिया जाता है। परन्तु दंड मिले या न मिले, नागरिकों को तो अपना कर्तव्य समझ कर, उनका पालन करना चाहिये। यदि कोई क़ानून कहीं अहितकर प्रतीत हो तो बड़ी आयु वाले, योग्य तथा अनुभवी नागरिकों को उसका विचार करके, आवश्यकता होने पर, उसे बदलवाने या रद्द कराने का प्रयत्न करना चाहिये।

३—शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करना—प्रत्येक नागरिक को यह जानना चाहिये कि उस के देश की राजनैतिक स्थिति कैसी है, वहां शासन यंत्र किस प्रकार चलता है। तभी वह अच्छी तरह क़ानूनों का पालन कर सकता है और शासन कार्य में सहायता दे सकता है। और, तभी वह यह भी विचार कर सकता है कि उसके देश की शासन

पद्धति में क्या क्या सुधार होने चाहियें। विद्यार्थियों तथा नवयुवकों को चाहिये कि अन्य विषयों के साथ, अपने देश की शासन पद्धति का भली भांति अध्ययन करें, जिससे, बड़े होकर वे सुयोग्य नागरिक बनें।

४-अपनी तथा दूसरों की उन्नति करना— राज्य की ओर से नागरिकों की शिक्षा स्वास्थ, रक्षा आदि के लिये विविध कार्य किये जाते हैं, परन्तु उनसे लाभ उठाना या न उठाना तो नागरिकों के ही हाथ में है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रत्येक नागरिक की अलग अलग उन्नति करने की ओर ध्यान नहीं देसकता। बहुत से कार्य नागरिकों को स्वयं ही करने होंगे। उन्हें अपनी शारिरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये, और स्वावलम्बन, सादगी तथा मितव्ययिता आदि सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिये।

नागरिकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनके किसी काम से उनके गांव या नगर आदि का कभी अहित न हो। चाहे कोई किसी जाति, धर्म, या सम्प्रदाय का क्यों न हो, सबसे प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिये, सबकी यथा शक्ति सेवा और सहायता, तथा जान माल की रक्षा करनी चाहिये। नागरिकों को इस तरह के कर्तव्य पालन से ही देश का कल्याण होता है।

परिशिष्ट.

परिशिष्ट (क)

भारतवर्ष के राजनैतिक भाग

संख्या	ब्रिटिश भारत के प्रान्त	ज़िले	क्षेत्रफल वर्गमील	जन संख्या (१९२१)
१	बंगाल	२८	७६,८४३	४,६६,५३,१७७
२	बम्बई	२९	१,२३,६२१	१,९३,३८,५८६
३	मदरास	२७	१,४२,२६०	४,२३,२२,२७०
४	संयुक्त प्रान्त	४८	१,०६,२९५	४,५५,९०,९४६
५	विहार उड़ीसा	२१	८३,१६१	३,३९,८८,७७८
६	पंजाब	२९	९९,८६६	२,०६,७८,३९३
७	बर्मा	४३	२३३,७०७	१,३२,०५,५६४
८	मध्य प्रान्त, बरार	२२	९९,८७६	१,३९,०८,५१४
९	आसाम	१३	५३,०१५	७५,९८,८६१
१०	देहली	१	५७३	४,८६,७४१
११	पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत	५	१३,४१९	२२,४७,६९६
१२	विलोचिस्तान	६	५४,२२८	४,२१,६७९
१३	अजमेर-मेरवाड़ा	२	२,७११	४,९५,८९९
१४	कुर्ग	१	१,५८२	१,६४,४५९
१५	एंडमान निकोबार	२	३,१४३	२६,८३३
	योग	२७७	१०,९४,३००	२४,७१,२८,३९६
५६२	देशी रियासतें		७,३७,६६७	७,६६,२१,२००
८	वैदेशिक राज्य		१,५५०	८,१५,०००
२	स्वाधीन राज्य		७२,०००	५२,००,०००
	समस्त योग		१९,०५,५१७	३२,८८,७२,५९६

परिशिष्ट (ख)

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्य.

प्रान्त	निर्वाचित													नामज़द			समस्त योग
	ग़ैर–मुसलमान		मुसलमान		योरपियन	ऐंगलो इंडियन	ज़मींदार	विश्व विद्यालय	खान और खेती	उद्योग वाणिज्य	सिक्ख	इसाई	योग	सरकारी	ग़ैर–सरकारी	योग	
	ग्राम्य	नागरिक	ग्राम्य	नागरिक													
बंगाल	३५	११	३३	६	५	२	५	१	...	१५	...	...	११३	१८	८	२६	१३९
मदरास	५६	९	११	२	१	१	६	१	१	५	...	५	९८	१९	१०	२९	१२७
बम्बई	३५	११	२२	५	२	...	३	१	...	७	...	...	८६	१६	९	२५	१११
संयुक्त प्रान्त	५२	८	२५	४	१	...	६	१	...	३	...	...	१००	१६	७	२३	१२३
बिहार-उड़ीसा	४२	६	१५	३	...	...	...	१	३	...	...	...	७६	१८	९	२७	१०३
मध्य प्रान्त	३१	९	६	१	...	...	३	१	१	२	...	...	५४	८	८	१६	७०
पंजाब	१३	७	२७	५	...	...	४	१	...	३	१२	...	७१	१४	८	२२	९३
आसाम	२०	१	१२	...	...	...	...	...	५	१	...	...	३९	७	७	१४	५३
बर्मा													७८	१५	८	२३	१०१

परिशिष्ट (ग)

भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य

सरकार या प्रान्त	निर्वाचित							नामज़द			कुल जोड़
	ग़ैर-मुसलिम	मुसलिम	सिक्ख	योरपियन	ज़मींदार	व्यापारी मंडल	जोड़	सरकारी	ग़ैर-सरकारी	जोड़	
भारत सरकार	...	...	...	...	...	...	...	१२	...	१२	१२
मद्रास	१०	३	...	१	१	१	१६	२	२	४	२०
बम्बई	७	४	...	२	१	२	१६	२	४	६	२२
बंगाल	६	६	...	३	१	१	१७	२	३	५	२२
संयुक्त प्रान्त	८	६	...	१	१	...	१६	२	१	३	१९
पंजाब	३	६	२	...	१	...	१२	१	१	२	१४
बिहार उड़ीसा	८	३	...	...	१	...	१२	१	१	२	१४
मध्य प्रान्त	३	१	...	...	१	...	५	१	...	१	६
आसाम	२	१	...	१	...	...	४	१	...	१	५
बर्मा	३ ग़ैर योरपियन			१	...	...	४	...	१	१	५
बरार	...	...	...	...	...	...	...	...	२	२	२
अजमेर	...	...	...	...	...	...	...	...	१	१	१
देहली	१ जनरल						१	...	...	...	१

परिशिष्ट (घ)

राज्य परिषद् के सदस्य

सरकार या प्रान्त	निर्वाचित						नामज़द		
	जनरल	ग़ैर-मुसलिम	मुसलिम	सिक्ख	योरपियन व्यापारी	कुल	सरकारी	ग़ैर-सरकारी	कुल
भारत सरकार	...	...	...	...	...	...	१२	...	१२
मदरास	...	४	१	...	...	५	१	१	२
बम्बई	...	३	२	...	१	६	१	१	२
बंगाल	...	३	२	...	१	६	१	१	२
संयुक्त प्रान्त	...	३	२	...	...	५	१	१	२
पंजाब	...	१	१½*	१	...	३½*	१	२	३
बिहार उड़ीसा	...	२½*	१	...	...	३½*	१	...	१
बर्मा	१	...	...	...	१	२	...	...	...
मध्यप्रान्त बरार	२	...	...	...	...	२	...	...	...
आसाम	...	½†	½†	...	...	१	...	...	...
देहली	...	...	...	...	...	...	१	...	१

* एक निर्वाचन में पंजाब के मुसलिम निर्वाचकों को दो, और बिहार उड़ीसा के ग़ैर-मुसलिम निर्वाचकों को दो; और दूसरे निर्वाचन में पंजाब के मुसलिम निर्वाचकों को एक, और बिहार-उड़ीसा के ग़ैर-मुसलिम निर्वाचकों को तीन, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है।

† एक निर्वाचन में ग़ैर-मुसलिम और एक निर्वाचन में मुसलिम निर्वाचकों को बारी बारी से एक सदस्य चुनने का अधिकार है।

परिशिष्ट (च)

कुछ अधिकारियों का वार्षिक वेतन

भारत मंत्री	७५,०००	रु०
सहायक भारत मंत्री, दो, ३०,००० और	२२,५००	,,
इंडिया कौंसिल के सदस्य, प्रत्येक	१,८०,००	,,
गवर्नर जनरल	२,५६,०००	,,
,, की कौंसिल* के सदस्य, प्रत्येक	८०,०००	,,
कमांडरन चीफ़	१,००,०००	,,
बंगाल, बम्बई, मदरास, और संयुक्त प्रान्त के गवर्नर, प्रत्येक	१,२८,०००	,,
बंगाल, बम्बई, मदरास, संयुक्त प्रान्त की कौंसिलों के सदस्य, प्रत्येक	६४,०००	,,
पंजाब तथा बिहार–उड़ीसा के गवर्नर, प्रत्येक ...	१,००,०००	,,
,, ,, की कौंसिलों के सदस्य, प्रत्येक	६०,०००	,,
मध्य प्रान्त का गवर्नर	७२,०००	,,
,, की कौंसिल के सदस्य, प्रत्येक ...	४८,०००	,,
आसाम का गवर्नर	६६,०००	,,
,, की कौंसिल के सदस्य, प्रत्येक ...	४२,०००	,,

* इस पृष्ठ में आगे 'कौंसिल' से, प्रबन्धकारिणी कौंसिल का अभिप्राय है।

भ्रम निवारक पत्र

कृपया निम्न लिखित सुधार कर लीजिये :—

पृष्ठ ४०—पांचवी पंक्ति में 'वाणिज्य, दूतों' के स्थान पर 'वाणिज्य-दूतों' होना चाहिये ।

पृष्ठ ४९, ५१, ५३, ५५ } इन पृष्ठों के ऊपर 'भारत सरकार' के स्थान पर 'भारतीय व्यवस्थापक मण्डल' होना चाहिये ।

पृष्ठ ६३—तेरहवी पंक्ति में 'टैक्स लगाने' के आगे 'के' नहीं चाहिये ।

पृष्ठ ६६—ग्यारहवीं पंक्ति के आरम्भ में 'प्राप्ति' नहीं चाहिये ।

पारिभाषिक शब्द

अ

अतिरिक्त सदस्य Additional Member
अदालत Court
अबाध व्यापार Free Trade
अधिकार Right. Authority
,, जन्म सिद्ध— Birth-right
,,—विभाजन Decentralisation
,,—सीमा Jurisdiction
अधिकारी Official
अधीन Subordinate
अनियन्त्रित Absolute
अनिवार्य Compulsory
,,—सैनिक सेवा Conscription
अनुदार Conservatvie
अनुशासन Discipline
अन्ताराष्ट्रीय International
अपराध Crime. Offence.
अभियुक्त Accused
अमानतदार Trustee
अराजक Anarchist
अल्प मत Minority
अल्प वयस्क Minor
अवकाश-प्राप्त Retired
अवधि Time limit
असहयोग Non-co-operation.
सविनय अवज्ञा Civil Disobedience
अवैध Unconstitutional
अ-सैनिक Civil
अस्त्र विधान Arms act
अहिंसात्मक Non-violent

आ

आदेश-युक्त Mandatory
आन्दोलन Movement
,, वैध—Constitutional-

आबकारी Excise
आबपाशी Irrigation
आमदरफ्त Communication. Traffic.
,,—के साधन Means of-
आय Income.
,,—की मदें Heads of Revenue
आय व्यय अनुमान पत्र Budget, Budget-estimate
आयात Imports.
आयात निर्यात कर Customs
आर्थिक Economic
आसामी Tenant.

इ

इत्तिलानामा Summon.
इंगलैंड की सरकार Home Govt.
इंगलैंड में होने वाला खर्चा (भारत का) Home Charges.

उ

उत्तरदायी Responsible.
उदार Liberal
उदासीन Neutral, Indifferent.
उपनियम Bye-law. Regulation.
उपनिवेश Colony.
,, राजकीय—Crown-
उपसभापति Vice-chairman Vice-president.
उम्मेदवार Candidate
उम्मेदवारी का प्रस्तावपत्र Nomination paper

क

कर Tax. Duty. Rate.
,,-उठा देना Abolish a—
,, दरिद्र रक्षा—Poor rate
,,-दाता Rate payer.
,,-निर्धारण Taxation
,, मनुष्य पर- Poll tax.
,,-वसूल करने का ख़र्च Direct demands on revenue
,, हैसियत-Tax on circumstances and property.

क़ानून Law. Act.
" अस्थायी—Ordinance
"-विज्ञान Jurisprudence
क़ानूनी Legal
कांजी हौज़ Kine house.
काश्तकार Land holder. Tenant.
" शिकमी— Sub-tenant
काश्तकारी Tenancy
किसान Tenant, Agriculturist. Ryot
कुप्रबन्ध Maladministration
कुर्क़ी Attachment.
कुलीन राज्य Aristocracy
कूटनीतिक Diplomatic
केन्द्रीकरण Centralisation
केन्द्रीय Central
क़ैद Imprisonment
क़ैदियों का अफ़सर Convict-officer
क़ैदी Prisoner
कोष Treasury, Reserve, Finance
कोषाध्यक्ष Treasurer
कौंसिल युक्त गवर्नर Governor-in-Council
क्रान्ति Revolution

ख

ख़र्च Expenditure Expense
ख़िराज Tribute
ख़ुफ़िया विभाग C. I. D. (Criminal Investigation Dept.)

ग

ग़दर Mutiny
गृह-कर House-Tax
गृह-युद्ध Civil war
गृह-सचिव Home Member
गुप्त सभा Privy Council
गुलामी Slavery
ग़ैर-सरकारी Non-offical
ग्राम समुदाय Village-community
ग्राम्य क्षेत्र Rural area

घ

घुसना, बिना अधिकार Trespass

घोषणा Proclamation. Announcement

च

चिकित्सा सम्बन्धी Medical
चुंगी Octroy
चुनाव Election
चुनौती देना Challenge

छ

छावनी Cantonement
छोटे अपराधी Juvenile offenders

ज

जन्म भूमि Motherland
„ स्थान Birth-place
ज़मींदार Land-lord
जल सेना Navy
जल सेना विभाग Admiralty
जाति People. Race.
„ बिरादरी Community, Caste.
जातिगत Communal
जातीय Racial
ज़ाब्ता दीवानी Civil Procedure Code
जायज़ Lawful
ज़िम्मेदारी Responsibilty
ज़िला District
जेल का पहरुआ Jail warder
जङ्गी लाट Comnander-in-Chief

त

तसदीक़ करना Certify.
ताज़ीरात हिन्द Indian Penal Code.
तामील करना Execute.
तोपख़ाना Artillary.

द

दत्तक लेना Adoption.
दमन Repression.
दल Party
दलबन्दी नीति Party-politics.
दलित श्रेणियां Depressed Classes.

दस्तावेज़ Document
दाग़ियों का रजिस्टर Register of bad characters
दाय भाग Inheritance
दासत्व (दासता) Slavery
,,—से मुक्ति Emancipation
दिवाला Insolvency, Bankruptcy
दीवानी Civil
,,—कार्य विधान Civil-Procedure Code
देश Country
,,—निकाला Transportation
,,—भक्त Patriot
,,—रक्षा National defence
देशी माल पर कर Excise
देशीयकरण Naturalisation
देशी रियासतें Native states
दोषी } Convict
दोषी ठहराना } Convict
दंड Penalty, Punishment, Sentence
,,—क़ानून Penal law
,, प्राण-Death sentence
,,—विधान Penal Code
द्वैध शासन Dyarchy
,, ,,—पद्धति ,,

ध

धन सम्बन्धी Financial
धरोहर Trust
धर्म (कर्तव्य) Duty
धर्म (मत, मज़हब) Religion
धर्म सम्बन्धी विभाग Ecclesiastical dept.

न

नगर सम्बन्धी Civic
नज़रबन्दी Internment
नज़रसानी Review
नज़राना Tribute
नरेंद्र मण्डल Chamber of Princes
नरेश Ruler. Chief. King

नागरिक Citizen
नागरिक शास्त्र Civics
नाबालिग़ Minor
नामज़द Nominated
नाविक Naval
नियम Regulation Rule
नियम संग्रह Code
नियंत्रण Control
निरीक्षण Inspection. Observation. Supervision.
निर्धारित Fixed
निर्माण कार्य,(सरकारी) Public works
निर्यात् Export
निर्वाचक Elector.
,,—समूह Electorate
,,—संघ Constituency
निर्वाचक सूची Electoral roll
निर्वाचन Election
,,—अधिकार देना Enfranchise.
,,—अधिकार छीन लेना Disenfranchise.
,,—अफसर Returning Officer
,,—देशव्यापी— General Election.
,,—पत्र Ballot paper.
,, पूरक- Bye—election.
,,—क्षेत्र Constituency.
निवासी Inhabitant. Resident.
नीति Policy
नौकरशाही Bureaucracy.
न्याय Justice. Equity.
,,—कर्त्ता वर्ग Judiciary.
,,—विभाग Judicial dept.
न्यायाधीश Judge.
न्यायालय Court.
न्यायोचित Legitimate.

प

पट्टा Lease
पट्टीदारी Tenure. Land tenure.
पद के कारण Ex-officio.
पद्धति System.
परदेश से आकर रहना Immigration.
परदेशी Immigrant. Foreign.

परिवर्तन विरोधी Conservative.
परिषद् Council.
पर्चा डालना Ballot.
'पार्लिमेंट' का विसर्जन Dissolution of Parliament
,,—की दोनों सभायें Both Houses of-
पुरातन प्रेमी Conservative
पूरक Supplementary
पृथक्करण Allienation Seperation
पेश करना (मसविदा) Introduction
पैदल सेना Infantry
पंच Jury
पंचायती राज्य Commonwealth
प्रजा Subjects. Ryot
,,—तन्त्र Democracy
,,—प्रिय राज्य Popular Government
,,—वादी Democrat
प्रणाली System
प्रतिक्रिया Reaction
प्रतिनिधि Representative. Delegate
,,—पत्र Proxy
,,—सभा (अंगरेज़ी) House of Commons
प्रतिनिधित्व Representation, Delegation
प्रतिवादी Defendent
प्रत्यागमन Repatriation
प्रधान सेनापति Commander in-chief
प्रबन्धक अफ़सर Executive officer
,,—वर्ग Executive, the-
प्रबन्ध कारिणी Executive
प्रभुता (प्रभुत्व) Sovereignty
प्रवास Emigration
प्रश्न रोकना Disallow a question
प्रस्ताव Proposal, Resolution
प्राण दंड Capital punishment.
प्रान्त Province.
प्रान्तीय स्वराज्य Provincial autonomy.

फ

फांसी Capital punishment

फ़ौजदारी अदालत Criminal Court.

फ़ौजदारी विधान Criminal Procedure Code.

फ़ौजी Military.

ब

बदला Retalliation

बयान Statement.

बरी होना Discharge.

बहिष्कार Boycott.

बहुमत Majority.

बादशाह King. Crown.

बालिग़ Adult.

बेदख़ली Ejectment

बन्दोबस्त Settlement

भ

भत्ता Allowance

भर्ती, सेना में Recruitment

भारत मन्त्री Secretary of State for India

भारत रक्षा क़ानून Defence of India Act

भारत सरकार Govt. of India

भारतीयकरण Indianisation

भाषण स्वातंत्र्य Freedom of speech

म

मजदूर दल Labcur party

मत देना Poll. vote.

मताधिकार Franchise. Sufferage

,, सार्वजनिक–Universal sufferage

मताभिलाषी स्त्रियां Suffer-egettes

मद्द Head

मध्यस्थता Arbitration

मसविदा (क़ानून का) Bill

महसूल Cess

महासभा Congress

मातृभूमि Motherland Nativeland

मालगुज़ारी Revenue

मित्र राष्ट्र Allies
मियाद Time-limit
मुक़द्दमा Case
मुक़द्दमेबाज़ी Litigation
मुखिया Headman
मुद्दई Plaintiff
मुद्रा Currency
मौरूसी Hereditary.
मंडल Chamber, Federation
मन्त्री Minister
,,—दल Ministray
,,—मंडल Cabinet
,, प्रधान—Prime minister

र

रचनात्मक Constructive
रद्द करना Nagative, Veto
रय्यत Ryot
रक्षा Defence. Protection
रक्षित विषय Reserved subject
राज तन्त्र Monarchy
,, नियम बद्ध — Limited (or Constitutional.)—
राजदूत Ambessador
राजद्रोह Sedition,
राजनीति Politics
राजनीतिज्ञ Politician Statesman.
राजनैतिक (राजनीतिक) } Political. Diplomatic
राज विद्रोह Rebellion
राजस्व Finance
राज्य State
,, एकात्मक— Unitary—
,, कुलीन — Aristocracy
,,—क्रान्ति Rebellion
,,—परिषद् Council of—
,, रक्षित— Protected State
,, संयुक्त—United States Fedral Govt.
राजा Crown. King
राज़ीनामा Compromise
रानी Queen
राष्ट्र Nation
,,—निर्माण Nation-building
,,—संघ League of Nations
राष्ट्रीकरण Nationalisation
राष्ट्रीय National
रियासत State.

रिवाज Custom
रिश्वत Bribery
रिसाला Cavalry

ल

लगान Rent
लिखित कानून Lex Scripta
लेखन और भाषण Press & Platform
लेखा परीक्षक Auditor

व

वादविवाद Discussion
वादी Plaintiff
,,—प्रतिवादी Parties (to a suit)
वायु सेना Air force
व्यक्ति Individual. Person
,,—गत Private.
,,—वाद Individualism.
व्यवस्था Legislation
व्यवस्थापक परिषद Legislative Council.
व्यवहार Application. Usage.

श

शक्ति—साम्य Balance of Power
शहादत Evidence.
शहीद Martyr.
शासक Administrator. Ruler.
शासन Administration.
,,—आदेश Mandate
,,—व्यवस्था Constitution

स

सदर आला Sub-judge
सदर मुकाम Head quarter
सदस्य Member
सनद Charter. Certificate
सनदी Patent
सपरिषद गवर्नर Governer-in-Council
(सभा) द्वितीय— Second chamber. Upper House.
(सभा) भङ्ग करना Dissolve
सभापति President, Chairman
सभ्य Civilised, Civil
समता Equality

समाज—वाद Socialism
समाज—शास्त्र Sociology
,,—सम्बन्धी Social
समिति Association. Committee. Trust
समुदाय Community
,,—वादी Communist
सम्मेलन Conference,
सम्राट Emperor. Crown His Majesty
सरकार Government
सरकारी Official. Public
,,—कर्मचारी Govt. official
,,—मंतव्य Government resolution
सरदार सभा (अंगरेजी) Br. House of Lords
सर्वदल सम्मेलन Round-table-confernce
सर्वोच्च शक्ति Paramount power
सशस्त्र Armed
सहकारिता Co-operation
सहयोग Co-operation
साख Credit
साम्यवाद Socialism
साम्यवादी Socialist
साम्राज्य Empire
,,—परिषद् Imperial Confrence
सार्वजनिक Public
सार्वदेशिक भाषा Lingua Franca
सार्वभौम Universal
साक्षी Evidence
सिंचाई Irrigation
सिफारिश Recommendation
सुधार Reform
,,-पाठशाला Reformatory
श्रम Labour.
सचिव Secretary.
सत्ता Sovereignty.
सेक्रेटरियों का दफ्तर Secreteriat
सेना Army
,, आपत्काल— Reserve force
,, घुड़सवार— Cavalry
,, पैदल— Infantry.
,, भारतीय जल— Royal Indian marine

,, सहायक— Auxiliary force.
सैनिक Military.
संगठन Constitution, Organisation.
संघ Confederation. Federation. League
संघात्मक (सघीय) Fedral
संधि Treaty
संरक्षण Protection.
संशोधन Ammendment. Revision.
स्थगित करना (अधिवेशन) Adjourn.
स्थानीय स्वराज्य Local self Govt.
स्थायी बन्दोबस्त Permanent settlement.
स्थायी समिति Standing committee.
स्वतन्त्रता, वैयक्तिक— Personal (या Individual) Liberty.
स्वयं निर्णय Self-determination.
स्वाधीन Free. Independent

ह

हथियार रखने का कानून Arms Act.
हलका Circle
हवालात Lock-up
हस्तान्तरित विषय Transferred subject
हित Interest

क्ष

क्षतिपूर्ति Indemnity
क्षेत्र, प्रभाव— Sphere of Influence.

आप पढ़िये ! प्रचार कीजिये !!

भारतीय ग्रन्थमाला,

वृन्दावन ।

"...प्रत्येक देश प्रेमी को इस माला की पुस्तकें अपनाकर, इसके व्यवस्थापक को सत्साहित्य की वृद्धि के लिये उत्साहित करना चाहिये"।

—सैनिक ।

It is the duty of every Hindi-knowing citizen to help the author, in the pioneer work that he is doing.

— The Education.

१—भारतीय शासन—Indian Administration.

भारतवर्ष में राज्य की कल किस प्रकार चलती है, और इसमें किन किन सुधारों की आवश्यकता है। इस प्रकार के "राजनैतिक ज्ञान के लिये यह पुस्तक आइने का काम देने वाली" है। मूल्य चौदह आने। पांच संस्करण हो चुके हैं।

यह पुस्तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी विद्यापीठ, आदि अनेक संस्थाओं में पाठ्य पुस्तक है, तथा संयुक्त प्रान्त, पंजाब, गवालियर, बड़ौदा आदि के शिक्षा विभागों द्वारा पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है।

It is the only book of its kind. All the problems have been dealt with in a thoroughly apt and masterly manner. It will prove to be of considerable use to the teachers and pupils both. — The Education.

"...वास्तव में यह पुस्तक साधारण लोगों के लिये राजनैतिक नेता, विद्यार्थियों के लिये शिक्षक, राजनीतिज्ञों के लिये ज्ञान वर्द्धक, और सम्पादकों के लिये स्वर्ण अंकों का संदूक है"।

— हिन्दी (दक्षिण अफ्रीका)।

२-भारतीय विद्यार्थी विनोद

इसमें भाषा गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि आठ पाठ्य विषयों की आलोचना, महत्व और पारस्परिक सम्बंध, तथा मातृ भाषा, आत्मोन्नति, हमारी आदतें आदि आठ अत्यन्त उपयोगी विषयों की विवेचना है। दूसरा संस्करण। मूल्य छः आने।

यह पुस्तक मध्य प्रान्त के स्कूलों में पारितोषिक के लिये, तथा गवालियर और बड़ौदा में पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है।

This is a book of geneial knowledge in Hindi for School and College students. It is extremly useful and competent, and is in touch with recent scholarship.

— The Education.

"...हमें आशा है कि विद्यार्थी वर्ग व अन्य साहित्य प्रेमी इस से अवश्य लाभ उठावेंगे और लेखक के परिश्रम को सफल करेंगे"।

— अध्यापक।

३-भारतीय राष्ट्र निर्माण—Indian Nation Building.

राष्ट्र किस प्रकार बनते हैं, भारतवर्ष के सुदृढ़, सुयोग्य तथा महान राष्ट्र बनने के क्या क्या साधन हैं, इन बातों को जानने, तथा संगठन और हिंदू मुस्लिम प्रश्न, आदि विषयों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना हो तो इस पुस्तक का मनन कीजिये। दूसरा संस्करण। मूल्य चौदह आने।

This is another excellent book by the author. It explains exhaustively how the Indian Nation can become a fact. It is written in an engaging style.

— The Education,

"...पिछली दो पुस्तकों की भांति यह भी अपने ढंग की अनूठी है, अपूर्व है, और संग्राह्य है"। — चित्रमय जगत।

५—भावना।

[ले०—श्री० स्वामी आनन्दभिक्षुजी सरस्वती]

इस पुस्तक के स्वाध्याय से पाठकों को अपना हृदय टटोलने की, अपने जीवन को अधिक शुद्ध और सात्विक बनाने की, और स्वयं दूसरों के अभिमान की वस्तु बनने की सामग्री मिलेगी। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक सभी प्रकार के विचार पढ़ते ही बनते हैं। मूल्य चौदह आना।

५—सरल भारतीय शासन।

यह पुस्तक माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिये लिखी गयी है। इसमें भारतवर्ष की शासन पद्धति के मुख्य मुख्य विषय ज़िला मेजिस्ट्रेट, गवर्नर, वाइसराय और भारत मंत्री आदि के कार्य बहुत सरल भाषा में समझाये गये हैं। स्थानीय स्वराज्य और नागरिों के कर्तव्यों पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। मूल्य केवल आठ आने।

६—भारतीय जागृति (समाप्त)

७—देशभक्त दामोदर (समाप्त)

८—भारतीय चिन्तन।

इस पुस्तक में राजनैतिक, अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, विविध प्रकार के विषयों का विवेचन है। इसके कुछ लेख ये हैं:—प्रेम का शासन, साम्राज्यों का जीवन मरण, प्यारी मा, स्वराज्य का मूल्य, मेरे ३० मिनट, राजनैतिक भूल भुलैंया, तीर्थों में आत्मिक पतन, धर्म युद्ध, राष्ट्र की वेदी पर, मौत की तय्यारी आदि। मूल्य चौदह आने।

"...भारतीयों के किसी अंग को भी न छोड़कर, हर एक विषय को खूब खोला है। कहीं कहीं काव्य का मज़ा मिलता है। —महारथी।

"...बड़े ही भाव पूर्ण शब्दों में भारत की हित चिन्तना की है।"

—अध्यापक।

भारतीय ग्रन्थ माला की स्वीकृत पुस्तकें.

प्रान्त	पुस्तकें	आर्डर नं० तथा तारीख़	किस लिये स्वीकृत हुई
मध्य प्रान्त	भारतीय विद्यार्थी विनोद	८३७४ २० सितम्बर १९२८.	वर्नाक्यूलर, ऐंग्लोवर्नाक्यूलर, मिडिल, हाई और नार्मल स्कूलों में पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिये.
	वानब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी	७६०४ २८ नवम्बर १९२७.	लड़कों और लड़कियों के सब प्रकार के हिंदी स्कूलों में पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिये.
	राजनीति शब्दावली	१५१० ७ मार्च १९२८.	हिंदी मिडिल और हाई स्कूलों में पुस्तकालयों के लिये.
संयुक्त प्रान्त	भारतीय शासन	सप्लीमेंट नं० १८ १४ अगस्त १९२६	पुस्तकालयों के लिये.
	भारतीय राजस्व	,, ,,	,, ,,
	निर्वाचन नियम	टेक्स्ट बुक कमेटी. १४ दिसम्बर १९२७.	ट्रेवलिंग सरक्यूलेटिंग और मिडिल वर्नाक्यूलर पुस्तकालयों के लिये.

पंजाब	भारतीय शासन	सरक्यूलर नं० १६ १३ दिसम्बर १९२४.	वर्नाक्यूलर और ऐंग्लोवर्नाक्यूलर स्कूल-पुस्तकालयों के लिये.
गवालियर	भारतीय शासन भारतीय विद्यार्थी विनोद भारतीय स्वराज्य	६९३० / २४ जनवरी १९२५	बीस बीस प्रतियां भेजदें
	वानब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी	३७० / २०-७-१९२७	छः प्रतियां भेजदें
बड़ौदा	भारतीय शासन भारतीय विद्यार्थी विनोद	२० / ८ सितम्बर १९१६	ये पुस्तक स्कूल पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत की गयीं हैं।

९—भारतीय राजस्व—Indian Finance.

टैक्स क्यों, और किस हिसाब से दिये जाते हैं, भारतवर्ष में सरकार प्रति वर्ष दो सौ करोड़ रुपये से अधिक किन किन करों से वसूल करती है, और इस रक़म को किन किन कामों में ख़र्च करती है, इसमें क्या सुधार होना चाहिये, इन प्रश्नों पर विचार करने के लिये इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिये। मूल्य चौदह आने।

यह पुस्तक संयुक्त प्रान्त और गवालियर राज्य के पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है, और हिंदी साहित्य सम्मेलन की पाठ विधि में सम्मिलित है।

Admirable and authoritative book on Indian Finance. It is of a unique kind in Hindi and deserves to be widely read and circulated. — The Education.

"....भारत की निर्धन दशा में ऐसी पुस्तकों का धर्म ग्रन्थों के समान आदर होना चाहिये। मूल्य बहुत कम है।" — बर्मा समाचार।

"....इस पुस्तक के अध्ययन से व्यवस्थापक सभा में होने वाली बजट पर बहस आदि समझने की योग्यता प्राप्त होगी।" — प्रभात।

१०—निर्वाचन नियम—Election Guide.

इसमें भारतवर्ष की व्यवस्थापक सभाओं म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला बोर्डों के चुनाव सम्बन्धी नियमों की विवेचना की गयी है। वोटर या मतदाता, और उम्मेदवार कौन कौन व्यक्ति होसकते हैं, मत किस प्रकार दिये जाते हैं, क्या सुधार होने चाहियें, सब बातें सरल भाषा में समझायी गयी है।

यह पुस्तक संयुक्त प्रान्त के ट्रेवलिंग, सरक्यूलेटिंग और मिडल वर्नाक्यूलर पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है; और, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की पाठविधि में भी सम्मिलित है।

"इसे प्रत्येक मतदाता को में पढ़ना चाहिये। यह 'मार्ग प्रदर्शक' का काम दे सकती है। इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिये।"

— सुधा।

The book should prove useful to the candidates as well as voters for Council, Municipal or District Board elections.

— The Leader.

"...पुस्तक सर्वाङ्ग सुन्दर और हिन्दी प्रेमियों के अपनाने योग्य है हम इसका प्रचुर प्रचार चाहते हैं।" — **शिक्षा।**

Language clear and concise. Mastery of details. We can not but recommend the book too strongly.

— The Education.

११-बालब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी।

देवी कुन्ती का जीवन विकट परिस्थितियों की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर खरे सोने की भांति चमक रहा है। आप इसे अपनी मां बहिनों, बहू बेटियों के हाथ में देकर उनके चरित्र उज्ज्वल बनाइये। पृष्ठ संख्या लगभग ढाईसौ। रंग बिरंगे १२ चित्र। मूल्य साधारण प्रति १॥) सजिल्द १॥।) और, बढ़िया आर्ट पेपर पर राज संस्करण ३) है।

यह पुस्तक मध्यप्रान्त और बरार के लड़के और लड़कियों के सब प्रकार के हिन्दी स्कूलों में पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है, और गवालियर और धौलपुर रियासतों में कन्या पाठशालाओं के लिये मंगायी गयी है।

"...आपकी जीवनी आदर्श गृहस्थ, धर्म, तप, योग, वैराग्य और समाज सुधार आदि अनेकों विभूतियों की चित्रावली है।" — **महारथी.**

"...लेखन शैली बड़ी रोचक है। कहीं शब्दाडम्बर नहीं। प्रत्येक बहिन इस पुस्तक को एकबार पढ़े।" — **माधुरी.**

"...यह जीवन चरित अच्छे ढंग से एक ऐसे सज्जन का लिखा हुआ है, जो शुद्ध साहित्य के प्रचार के लिये हिंदी संसार में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। — **आर्य मित्र.**

१२-राजनीति शब्दावली ।
A Glossary of Political Terms

इसमें राजनीति के एक हज़ार से अधिक हिन्दी-अंगरेज़ी तथा आठसौ से अधिक अंगरेज़ी-हिन्दी पर्यायवाची शब्दों का संग्रह है। मूल्य पांच आना ।

"...सचमुच पुस्तक बहुत आवश्यक और उपयोगी है।" -सैनिक.

"...शालाओं के विद्यार्थियों, भाषण कर्ताओं, और हिन्दी भाषी समाचार पत्र पाठकों तथा राजनैतिक संस्थाओं के कार्य कर्ताओं के काम की चीज़ है। ऐसे ठोस उद्योगों की हिंदी भाषा में बहुत आवश्यकता है।

— कर्मवीर ।

१३-नागरिक शिक्षा-Elementary Civics.

मिडल स्कूलों और साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिये सरकार के कार्यों सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग धंधे, शिक्षा, स्वास्थ आदि विषयों का सरल भाषा में विचार । मूल्य ॥)

अन्य उपयोगी पुस्तकें ।

हमारा प्राचीन गौरव	-)	भारतीय अर्थ शास्त्र प्रथम भाग	१॥)
भारतीय प्रार्थी	॥)	,, ,, द्वितीय भाग	१)
राजा महेन्द्र प्रताप	।=)	कृषक दुर्दशा नाटक	॥=)
बदरी केदार यात्रा	)	हिन्दी भाषा में अर्थ शास्त्र	-)
जमुना लहरी	≥)	हिन्दी भाषा में राजनीति	-)

आठ आने प्रवेश फ़ीस भेजकर, स्थायी ग्राहक बनने वालों को सब पुस्तकें पौने मूल्य में ।



सरल भारतीय शासन

